

क्रम सं०	कोषागार	पेशनर का नाम सर्वश्री / श्रीमती	से०नि० पद	फाइल सं०	पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक
1	कोषागार गोरखपुर	दिनेश कुमार	लेखाधिकारी	13883	4549	10-08-2018
2	कोषागार गोरखपुर	ध्रुव नारायण मणि	सहा० अभि०	10889	4508	07-12-2018
3	कोषागार गोरखपुर	हृदय श्रीवास्तव	सहा० अभि०	10086	4507	07-12-2018
4	कोषागार गोरखपुर	सुरेश चन्द्र पाठक	मुख्य रसायनज्ञ	8104	4443	07-12-2018
5	कोषागार गोरखपुर	सुखदेव प्रसाद	सहा० अभि०	11676	5142	29-12-2018
6	कोषागार गोरखपुर	चौथी प्रसाद	सहा० अभि०	8110	4861	25-12-2018
7	कोषागार गोरखपुर	हृदय नारायण सिंह	अधि० अभि०	10642	4604	10-12-2018
8	कोषागार गोरखपुर	मोहम्मद अहमद	सहा० अभि०	13669	4788	22-12-2018
9	कोषागार गोरखपुर	शमशाद आलम	सहा० अभि०	13852	4792	24-12-2018
10	कोषागार गोरखपुर	राम नवल शुक्ल	अधि० अभि०	7423	5160	31-12-2018
11	कोषागार गोरखपुर	राम किशोद मिश्रा	सहा० अभि०	12321	4829	26-12-2018
12	कोषागार गोरखपुर	अंजनी कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	10984	4880	26-12-2018
13	कोषागार गोरखपुर	उदयभान सिंह	अधी० अभि०	12955	5981	10-01-2019
14	कोषागार गोरखपुर	संकटा प्रसाद	सहा० अभि०	11888	5901	09-01-2019
15	कोषागार गोरखपुर	पारसनाथ वर्मा	अधि० अभि०	7142	5830	07-01-2019
16	कोषागार गोरखपुर	रामाश्रय यादव	सहा० अभि०	13615	5938	09-01-2019
17	कोषागार गोरखपुर	दयाराम चौधरी	अधि० अभि०	8741	5859	08-01-2019
18	कोषागार गोरखपुर	बिन्दुवासिनी	सहा० लेखाधिकारी	9742	5862	08-01-2019
19	कोषागार गोरखपुर	वीरेन्द्र किशोर सिन्हा	सहा० अभि०	13645	5840	08-01-2019
20	कोषागार गोरखपुर	रामरूप यादव	अधि० अभि०	13243	8799	07-01-2019
21	कोषागार सुल्तानपुर	राजेश कुमार	सहा० अभि०	12698	5875	08-01-2019
22	कोषागार सोनभद्र	त्रिलोक नाथ	अधि० अभि०	8204	5911	09-01-2019
23	कोषागार शामली	लोकेश कुमार	सहा० अभि०	10263	3917	13-11-2018
24	कोषागार सम्भल	बशीर अहमद खान	सहा० अभि०	11851	5829	07-01-2019
25	कोषागार सम्भल	विनोद कुमार अग्रवाल	मु० अभि०	8357	5886	09-01-2019

26	कोषागार सहारनपुर	अतुल तायल	अधी० अभि०	12780	4752	20-12-2018
27	कोषागार सहारनपुर	सुरेन्द्र मोहन कौशिक	सहा० अभि०	9584	4769	21-12-2018
28	कोषागार सहारनपुर	राज कुमार गुप्ता	अधि० अभि०	10364	4878	26-12-2018
29	कोषागार सहारनपुर	मनोहर लाल	सहा० अभि०	9557	5867	08-10-2019
30	कोषागार सहारनपुर	पूनम पत्नी स्व० सुरेश कुमार	सहा० अभि०	14299	5239	04-01-2019
31	कोषागार सहारनपुर	प्रकाश चन्द्र	लेखाकार	12124	6094	14-01-2019
32	कोषागार सहारनपुर	कुवर सिंह	सहा० अभि०	8672	5801	07-01-2019
33	कोषागार सहारनपुर	नन्द किशोर अग्रवाल	सहा० लेखाधिकारी	12680	4513	07-12-2018
34	कोषागार रामपुर	जितेन्द्र सिंह	सहा० अभि०	9950	3797	02-11-2018
35	कोषागार मैनपुरी	देवेश चन्द्र दुबे	सहा० लेखाधिकारी	13807	5765	05-01-2019
36	कोषागार महाराजगंज	मिश्री प्रसाद	सहा० अभि०	9375	1801	15-01-2019
37	कोषागार लखनऊ	दीपक कुमार आचार्य	अधी० अभि०	13016	6170	16-01-2019
38	कोषागार लखनऊ	उदय राज गुप्ता	अधि० अभि०	12275	6169	16-01-2019
39	कोषागार लखनऊ	कामिनी देवी पत्नी स्व० सुमेश्वर प्रसाद	वाहन चालक	12061	6165	15-01-2019
40	कोषागार लखनऊ	हुस्न आरा सिद्दकी पत्नी स्व० ई०यू० सिद्दकी	अधि० अभि०	6015	6167	16-01-2019
41	कोषागार लखनऊ	सुभाष चन्द्र	समीक्षा अधिकारी	13014	6160	16-01-2019
42	कोषागार लखनऊ	अयोध्या प्रसाद	समीक्षा अधिकारी	12450	6161	16-01-2019
43	कोषागार लखनऊ	कुँवर श्रीवास्तव	सिविल लिस्ट कम्पाइल	11211	6148	16-01-2019
44	कोषागार लखनऊ	सरोज माथुर पत्नी स्व० किशन बिहारी माथुर	मु० अभि०	6511	6147	16-01-2019
45	कोषागार लखनऊ	राज पाल सिंह	लेखाकार	13551	6151	16-01-2019
46	कोषागार लखनऊ	राम सिंह	पी०ए०-एम	7597	6146	16-01-2019
47	कोषागार लखनऊ	गजेन्द्र पाल सिंह	सहा० अभि०	13675	6154	16-01-2019
48	कोषागार लखनऊ	हर नारायण गुप्ता	उपमहाप्रबन्धक	8919	4607	10-12-2018

49	कोषागार लखनऊ	याशमीन खानम पत्नी स्व० अब्दुल फरीद	12360	12360	6153	16-01-2019
50	कोषागार लखनऊ	गुरु दयाल विश्वकर्मा	वाहन चालक	13249	6143	16-01-2019
51	कोषागार लखनऊ	श्रीराम	मु० महाप्रबन्धक	11050	6137	16-01-2019
52	कोषागार लखनऊ	अरूण कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	10683	6134	15-01-2019
53	कोषागार लखनऊ	स्नेहलता पत्नी स्व० निरन्जन दास	मु० महाप्रबन्धक	8789	6140	16-01-2019
54	कोषागार लखनऊ	चौद गुलाटी पत्नी स्व० राजेन्द्र गुलाटी	सहा० अभि०	8210	6131	15-01-2019
55	कोषागार लखनऊ	सावित्री परमार पत्नी स्व० एल०के०एस० परमार	वरिष्ठ कार्मिक अधि०	5855	6129	15-01-2019
56	कोषागार लखनऊ	राम प्यारी सिंह पत्नी स्व० बलराम सिंह	महाप्रबन्धक	10381	6128	15-01-2019
57	कोषागार लखनऊ	पारस नाथ श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक	10894	5979	10-01-2019
58	कोषागार लखनऊ	सुरेश चन्द्र यादव	सहा० अभि०	13868	5980	10-01-2019
59	कोषागार लखनऊ	नजमा बेगम पत्नी स्व० नुसरत उल्ला खाँ	समीक्षा अधिकारी	11315	5970	10-01-2019
60	कोषागार लखनऊ	सुभाष चन्द्रा	अधि० अभि०	12573	5972	10-01-2019
61	कोषागार लखनऊ	रामप्रकाश	मु० अभि०	10505	5973	10-01-2019
62	कोषागार लखनऊ	जितेन्द्र कुमार	अधि० अभि०	10275	5974	10-01-2019
63	कोषागार लखनऊ	सरोज कुमार गर्ग	अधि० अभि०	8969	5976	10-01-2019
64	कोषागार लखनऊ	भोला प्रसाद यादव	सहा० अभि०	12179	5977	10-01-2019
65	कोषागार लखनऊ	शिव कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	7528	5919	09-01-2019
66	कोषागार लखनऊ	अवधेश चन्द्र श्रीवास्तव	अनुभाग अधिकारी	12271	4597	10-12-2018
67	कोषागार लखनऊ	गुलजारी देवी पत्नी स्व० दूधनाथ यादव	सहा० लेखाकार	12978	5887	09-01-2019
68	कोषागार लखनऊ	कैलाश चन्द्र निगम	उप विधि अधिकारी	9615	5965	10-01-2019
69	कोषागार लखनऊ	राम चन्द्र केसरी	अधि० अभि०	8060	5964	10-01-2019

70	कोषागार लखनऊ	रमेश गुप्ता	उपमहाप्रबन्धक	9315	5966	10-01-2019
71	कोषागार लखनऊ	बेअन्त सिंह	सहा० अभि०	10354	5962	10-01-2019
72	कोषागार लखनऊ	गया प्रसाद मिश्रा	सहा० अभि०	10500	5963	10-01-2019
73	कोषागार लखनऊ	शिवराम	टी०जी०-2	13727	5958	10-01-2019
74	कोषागार लखनऊ	विजय कुमार गुप्ता	सहा० अभि०	8951	5954	10-01-2019
75	कोषागार लखनऊ	सुनील कुमार चौधरी	समीक्षा अधिकारी	11181	5953	10-01-2019
76	कोषागार लखनऊ	सैयद मसूद हसन	वरिष्ठ लेखाधिकारी	12891	5952	10-01-2019
77	कोषागार लखनऊ	अवध नारायण सिंह	निजी सचिव	7525	5955	10-01-2019
78	कोषागार लखनऊ	विष्णु कान्त निगम	सहा० लेखाधिकारी	5947	7898	09-01-2019
79	कोषागार लखनऊ	नफीस जहाँ पत्नी स्व० मा० सईद सिददकी	अनुभाग अधिकारी	11305	5948	10-01-2019
80	कोषागार लखनऊ	विजय कुमार श्रीवास्तव	अधि० अभि०	11720	5882	08-01-2019
81	कोषागार लखीमपुर	मिर्जा जाकिर अली बेग	सहा० अभि०	8634	3906	13-11-2018
82	कोषागार कुशीनगर	सावित्री देवी पत्नी स्व० विजय बहादुर सिंह	सहा० अभि०	7213	4052	19-11-2018
83	कोषागार कानपुर	सतेन्द्र नाथ मेहरोत्रा	मु० महाप्रबन्धक	6342	5133	29-12-2018
84	कोषागार कानपुर	नंदन बाबू	सहा० अभि०	11752	4503	07-12-2018
85	कोषागार कानपुर	नरेश कुमार शुक्ला	सहा० अभि०	11819	4512	07-12-2018
86	कोषागार कानपुर	केशव सिंह	महाप्रबन्धक	10520	5140	29-12-2018
87	कोषागार कानपुर	राजेन्द्र निगम	सहा० अभि०	11275	4755	20-12-2018
88	कोषागार कानपुर	कौशल किशोर पाण्डेय	सहा० अभि०	9054	3837	05-11-2018
89	कोषागार कानपुर	अरविन्द कुमार शुक्ला	सहा० अभि०	11990	5861	08-01-2019
90	कोषागार कानपुर	रमेश सिंह	उपमहाप्रबन्धक	9200	5221	04-01-2019
91	कोषागार कानपुर	कन्हैया लाल भाटिया	उपमहाप्रबन्धक	9284	5222	04-01-2019
92	कोषागार कानपुर	जगदीश प्रसाद गुप्ता	लेखाकार	7505	5815	07-01-2019
93	कोषागार कानपुर	राम पाल	सहा० अभि०	12085	5832	07-01-2019
94	कोषागार कानपुर	बलजीत सिंह	सहा० अभि०	12065	6166	16-01-2019
95	कोषागार कानपुर	अरुण कुमार श्रीवास्तव	वरि० लेखाधिकारी	13795	6141	16-01-2019

96	कोषागार कानपुर	उर्मिला मिश्रा पत्नी स्व० ओम प्रकाश मिश्रा	वरि० कार्मिक अधिकारी	10769	5999	10-01-2019
97	कोषागार कानपुर	राम स्वरूप द्विवेदी	वरि० लेखाधिकारी	9219	5950	10-01-2019
98	कोषागार कानपुर	ऊषा शाक्य पत्नी स्व० रामनरेश शाक्य	सहा० अभि०	13211	5137	29-12-2018
99	कोषागार कानपुर	सुभाष चन्द्र निगम	मु० अभि०	8093	5855	08-01-2019
100	कोषागार कानपुर	पुष्पा देवी पत्नी स्व० आदित्य प्रकाश तिवारी	सहा० अभि०	8887	5808	07-01-2019
101	कोषागार कानपुर	राकेश कुमार	सहा० अभि०	10530	6093	14-01-2019
102	कोषागार जालौन	सिया दुलारी पत्नी स्व० छोटे लाल	सहा० अभि०	10131	5174	02-01-2019
103	कोषागार हाथरस	नरगिस चौधरी पत्नी स्व० ताहिर अली खॉन	सहा० अभि०	7583	6201	17-01-2019
104	कोषागार हाथरस	राम किशन अग्रवाल	सहा० अभि०	11213	3685	30-10-2018
105	कोषागार हाथरस	मोहन सिंह	सहा० अभि०	8706	3836	05-11-2018
106	कोषागार हापुड़	चेतन प्रकाश	सहा० अभि०	9027	4791	24-12-2018
107	कोषागार गाजियाबाद	पूर्ण चन्द्र	सहा० अभि०	13483	4871	25-12-2018
108	कोषागार गाजियाबाद	राजेन्द्र सिंह बेदी	अधि० अभि०	9589	4509	07-12-2018
109	कोषागार गाजियाबाद	पन्ना लाल गुप्ता	लेखाकार	13383	4793	24-12-2018
110	कोषागार गाजियाबाद	जय प्रकाश गर्ग	सहा० अभि०	11583	4498	07-12-2018
111	कोषागार गाजियाबाद	ओम प्रकाश गुप्ता	सहा० अभि०	9598	4426	07-12-2018
112	कोषागार गाजियाबाद	सतीश चन्द्र जैन	मु० अभि०	6287	4782	22-12-2018
113	कोषागार गाजियाबाद	मानक चन्द्र गुप्ता	सहा० अभि०	9660	4783	22-12-2018
114	कोषागार गाजियाबाद	नत्थू सिंह	सहा० अभि०	100101	4784	22-12-2018
115	कोषागार गाजियाबाद	सत्य नारायण गोयल	सहा० अभि०	10284	5258	04-01-2019
116	कोषागार गाजियाबाद	रेनु गोयल पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र गोयल	मु० अभि०	9567	6156	Not mentioned

117	कोषागार गाजियाबाद	संतोष अग्रवाल पत्नी स्व० ओम प्रकाश अग्रवाल	अधि० अभि०	5766	6152	16-01-2019
118	कोषागार गाजियाबाद	बाबू लाल शर्मा	अधी० अभि०	7577	6145	16-01-2019
119	कोषागार गाजियाबाद	जसवंत सिंह	सहा० अभि०	9409	4578	10-12-2018
120	कोषागार गाजियाबाद	रमेश चन्द्र अग्रवाल	मु० अभि०	6328	4876	26-12-2018
121	कोषागार गाजियाबाद	विनय कुमार अग्रवाल	मु० अभि०	7384	5257	04-01-2019
122	कोषागार गाजियाबाद	राकेश सिंह पत्नी स्व० टी०डी० सिंह	अधि० अभि०	6145	5252	04-01-2019
123	कोषागार गाजियाबाद	सुन्दर लाल	मु० अभि०	7870	5781	05-01-2019
124	कोषागार गाजियाबाद	गिरधारी लाल	उप महाप्रबन्धक	8937	5788	07-01-2019
125	कोषागार गाजियाबाद	मीना भटनागर पत्नी स्व० सुरेश कुमार भटनागर	सहा० अभि०	6157	5844	08-01-2019
126	कोषागार गाजियाबाद	केवल कृष्ण अग्रवाल	उप महाप्रबन्धक	8496	5809	07-01-2019
127	कोषागार गाजियाबाद	पुष्पावती पावा पत्नी स्व० बी०एल० पावा	अधि० अभि०	5086	6082	14-01-2019
128	कोषागार गाजियाबाद	उमांशकर वार्ष्णेय	सहा० अभि०	8973	6092	14-01-2019
129	कोषागार गाजियाबाद	महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव	अधि० अभि०	12069	5834	07-01-2019
130	कोषागार गाजियाबाद	जितेन्द्र कौशिक	अधि० अभि०	12303	5821	07-01-2019
131	कोषागार गाजियाबाद	महेश चन्द्र गुप्ता	सहा० अभि०	9006	5905	09-01-2019
132	कोषागार गाजियाबाद	कंचन माहेश्वरी पत्नी स्व० राम अवतार माहेश्वरी	सहा० लेखाधिकारी	12702	4807	24-12-2018
133	कोषागार गाजियाबाद	बाल किशन चड्ढा	सहा० अभि०	9519	5202	03-01-2019
134	कोषागार गाजियाबाद	विजेन्द्र नाथ शर्मा	सहा० अभि०	9318	4873	25-12-2018
135	कोषागार गाजियाबाद	करुणा शंकर त्रिपाठी	वरि० लेखाधिकारी	9410	4453	07-12-2018
136	कोषागार गाजियाबाद	राधा किशन अरोरा	महाप्रबन्धक	8989	4573	12-12-2018
137	कोषागार गाजियाबाद	सुरजीत कौर पत्नी स्व० रघुवीर सिंह	सहा० अभि०	5368	5920	09-01-2019

138	कोषागार गाजियाबाद	सरला देवी अग्रवाल पत्नी स्व० लक्ष्मण मूर्ति गुप्ता	अधि० अभि०	6041	5929	09-01-2019
139	कोषागार गाजियाबाद	महेन्द्र सिंह गुप्ता	उप महाप्रबन्धक	10511	5931	09-01-2019
140	कोषागार फिरोजाबाद	कुँवर चन्द्र अग्रवाल	सहा० अभि०	8720	5170	01-01-2019
141	कोषागार फिरोजाबाद	संगीता बंसल पत्नी स्व० प्रवीण कुमार बंसल	सहा० अभि०	13233	5860	08-01-2019
142	कोषागार फतेहगढ़	कमला देवी गंगवार पत्नी स्व० सुग्रीव सिंह गंगवार	सहा० अभि०	7739	5889	09-01-2019
143	कोषागार फैजाबाद	वीरेन्द्र प्रताप सिंह	लेखाकार	9454	5870	08-01-2019
144	कोषागार फैजाबाद	उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	सहा० अभि०	7530	5873	08-0-19
145	कोषागार फैजाबाद	मीरा मिश्रा पत्नी स्व० मुक्ति नाथ मिश्रा	सहा० अभि०	9961	5796	07-01-2019
146	कोषागार फैजाबाद	मुन्नी देवी पत्नी स्व० शिव नाथ द्विवेदी	सहा० अभि०	10884	5797	01-01-2019
147	कोषागार फैजाबाद	दुर्गेश्वरी सिंह पत्नी स्व शंकर सिंह	अधि० अभि०	10717	5801	07-01-2019
148	कोषागार फैजाबाद	मानिक लाल मजूमदार	सहा० अभि०	7273	6194	17-01-2019
149	कोषागार भदोही	बशीर अहमद खान	सहा० अभि०	11851	5829	07-01-2019
150	कोषागार बंदायूं	रघुराज सिंह	महाप्रबन्धक	10916	5143	29-12-2018
151	कोषागार बांदा	सुभाष चन्द्र अग्रवाल	सहा० अभि०	12638	4493	07-12-2018
152	कोषागार बलिया	सुभाष चन्द्र अग्रवाल	सहा० अभि०	8451	5782	05-01-2019
153	कोषागार आगरा	नन्द किशोर अग्रवाल	सहा० लेखाधिकारी	12680	4513	07-12-2018
154	कोषागार आगरा	हरिओम कटियार	अधी० अभि०	12046	4865	25-12-2018
155	कोषागार आगरा	ज्ञान प्रकाश शर्मा	सहा० अभि०	10635	4870	25-12-2018
156	कोषागार आगरा	रमेश चन्द्र शर्मा	सहा० लेखाधिकारी	8089	5181	02-01-2017
157	कोषागार आगरा	गिरीश कुमार	सहा० अभि०	12462	4779	22-12-2018
158	कोषागार आगरा	राम खिलाड़ी	सहा० अभि०	8101	6139	16-01-2019
159	कोषागार आगरा	ओग प्रकाश गौड़	अधि० अभि०	12291	5959	10-01-2019

160	कोषागार आगरा	भवानी शंकर	सहा० अभि०	10343	5218	03-01-2019
161	कोषागार आगरा	राम प्रसाद	सहा० अभि०	8344	5935	09-01-2019
162	कोषागार आगरा	इकबाल सिंह	अधि० अभि०	10519	5943	09-01-2019
163	कोषागार आगरा	नजमुददीन	सहा० अभि०	9171	5793	05-01-2019
164	कोषागार आगरा	किशन गोपाल शर्मा	सहा० अभि०	12747	5193	03-01-2019
165	कोषागार आगरा	सुरेश चन्द्र शर्मा	अधि० अभि०	12051	5881	28-01-2019
166	कोषागार आगरा	नथी लाल बंसल	लेखाकार	13748	5928	09-01-2019
167	कोषागार आगरा	सरदार सिंह	सहा० अभि०	11053	5888	09-01-2019
168	कोषागार आगरा	सूबेदार यादवेन्दु	अधि० अभि०	8245	5213	03-01-2019
169	कोषागार आगरा	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अधि० अभि०	7507	5250	04-01-2019
170	कोषागार आगरा	प्रवेश कुमार निगम	सहा० अभि०	7512	5854	08-01-2019
171	कोषागार आगरा	कुसुम सिंघल पत्नी स्व० घासी राम	मु० अभि०	6699	6077	14-01-2019
172	कोषागार मिर्जापुर	शारदा रानी पत्नी स्व० दिलीप कुमार दिवंगत	सहा० अभि०	8669	3770	02-11-2018
173	कोषागार मिर्जापुर	रंग नाथ यादव	सहा० लेखाधिकारी	9106	5166	01-01-2019
174	कोषागार बस्ती	ठाकुर प्रसाद चौधरी	अधि० अभि०	9629	4381	07-12-2018
175	कोषागार बस्ती	प्रेम शंकर शुक्ल	वरिष्ठ सहा० अभि०	7826	4543	12-12-2018
176	कोषागार बिजनौर	मोहम्मद आसिम	सहा० अभि०	13481	4032	19-11-2018
177	कोषागार बिजनौर	प्रेम दीपक	सहा० अभि०	10558	3928	14-11-2018
178	कोषागार गोण्डा	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अधि० अभि०	12394	3981	16-11-2018
179	कोषागार जौनपुर	ऊषा रानी पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव	अधि० अभि०	7500	5940	09-01-2019
180	कोषागार जौनपुर	रमेश कुमार सिंह	अधि० अभि०	11454	5180	02-01-2019
181	कोषागार रायबरेली	त्रियुगी नारायण शुक्ला	सहा० अभि०	10136	3451	22-10-2018
182	कोषागार रायबरेली	सत्यनारायण मिश्र	उपमहाप्रबन्धक	9458	3467	23-10-2018
183	कोषागार रायबरेली	रामेश्वर सिंह	सहा० अभि०	9719	4349	07-12-2018
184	कोषागार रायबरेली	इन्द्र प्रकाश सिंह	सहा० अभि०	12385	5876	08-01-2019



185	कोषागार गाजीपुर	परमानन्द सिंह	सहा0 अभि0	9114	4778	22-12-2018
186	कोषागार गाजीपुर	विजय नारायण राय	सहा0 अभि0	11111	5841	08-01-2019
187	कोषागार गाजीपुर	कमला देव पत्नी स्व0 लल्लन सिंह	सहा0 अभि0	10674	3510	24-10-2018
188	कोषागार गाजीपुर	दुर्गावती देवी पत्नी स्व0 तेज बहादुर राय	सहा0 अभि0	7469	5894	09-01-2019
189	कोषागार गाजीपुर	कृष्ण कान्त राय	सहा0 अभि0	9553	3531	25-10-2018
190	कोषागार बलरामपुर	सैयद मोहम्मद खान	सहा0 अभि0	11957	3562	25-10-2018
191	कोषागार बलरामपुर	चेतराम शुक्ल	सहा0 अभि0	7514	5851	08-01-2019
192	कोषागार शाहजहांपुर	मंजू गौतम पत्नी स्व0 विनोद प्रकाश गौतम	सहा0 अभि0	10612	3921	13-11-2018
193	कोषागार शाहजहांपुर	लाली मिश्रा	सहा0 अभि0	7520	5209	03-01-2019
194	कोषागार नोएडा	अश्वनी कुमार गोयल	अधि0 अभि0	7272	4344	08-12-2018
195	कोषागार नोएडा	अरुण कुमार मल्होत्रा	अधि0 अभि0	10449	3915	13-11-2018
196	कोषागार उन्नाव	राम शंकर वर्मा	सहा0 अभि0	9311	5811	07-01-2019
197	कोषागार उन्नाव	विद्यारतन मिश्रा	सहा0 अभि0	12965	5978	10-01-2019
198	कोषागार उन्नाव	बिदेशी हरिजन	अधि0 अभि0	10752	3651	29-10-2018
199	कोषागार आजमगढ़	शिव किशोर राय	सहा0 अभि0	11688	4446	07-12-2018
200	कोषागार आजमगढ़	विमल श्रीवास्तव पत्नी स्व0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधि0 अभि0	10508	5930	09-01-2019
201	कोषागार आजमगढ़	ओंकार राय	सहा0 अभि0	12782	5216	03-01-2019
202	कोषागार आजमगढ़	जय प्रकाश पाठक	सहा0 अभि0	12444	5217	03-01-2019
203	कोषागार आजमगढ़	चन्द्र पाल सिंह	लेखाकार	10925	4555	10-12-2018
204	कोषागार आजमगढ़	कंचन वर्मा पत्नी स्व0 दिग्विजय प्रताप नारायण वर्मा	सहा0 अभि0	7599	5865	08-01-2019
205	कोषागार आजमगढ़	शिव चरन राम	महाप्रबन्धक	8659	5807	07-01-2019
206	कोषागार प्रतापगढ़	मोती प्रसाद	सहा0 अभि0	8837	4613	11-12-2018

207	कोषागार प्रतापगढ	स्वामी दयाल	चपरासी	7531	6079	14-01-2019
208	कोषागार अम्बेडकर नगर	घनश्याम मिश्रा	सहा० अभि०	12017	4787	22-12-2018
209	कोषागार अम्बेडकर नगर	केदार नाथ मिश्रा	सहा० अभि०	10014	3609	27-10-2018
210	कोषागार अम्बेडकर नगर	वेद प्रकाश मिश्रा	सहा० अभि०	10577	3683	30-10-2018
211	कोषागार अम्बेडकर नगर	मदन लाल गुप्ता	सहा० अभि०	12673	4417	07-12-2018
212	कोषागार बहराइच	सुन्दरपति पत्नी स्व० राजाराम दुबे	सहा० लेखाधिकारी	7212	6190	17-01-2019
213	कोषागार बहराइच	मोईनुददीन खॉ	सहा० लेखाधिकारी	9597	5907	09-01-2019
214	कोषागार बहराइच	धनलाल गुप्ता	सहा० अभि०	10513	4366	07-12-2018
215	कोषागार बहराइच	राम चन्द्र सिंह	सहा० अभि०	7758	5914	09-01-2019
216	कोषागार बहराइच	मंसूर अहमद खान	सहा० अभि०	10556	5915	09-01-2019
217	कोषागार बुलन्दशहर	मीर सिंह	सहा० अभि०	10512	6204	17-01-2019
218	कोषागार बुलन्दशहर	वीना गुप्ता	सहा० अभि०	12130	6133	15-01-2019
219	कोषागार बुलन्दशहर	हुकुम चन्द्र शर्मा	मु० अभि०	7692	3601	22-10-2018
220	कोषागार बुलन्दशहर	सत्य प्रकाश	लेखाकार	13616	4430	07-12-2018
221	कोषागार बुलन्दशहर	सुमन लता पत्नी स्व० खजान सिंह	अधि० अभि०	7638	5897	09-01-2019
222	कोषागार देवरिया	आत्मा सिंह	सहा० अभि०	12247	3461	23-10-2018
223	कोषागार देवरिया	रामाश्रय प्रसाद	लेखाकार	8229	3781	02-11-2018
224	कोषागार देवरिया	रामलगन प्रसाद	सहा० अभि०	8499	3553	25-10-2018
225	कोषागार देवरिया	समीउललाह	अधि० अभि०	7554	6090	14-01-2019
226	कोषागार बरेली	रंग बहादुर चौहान	सहा० अभि०	7031	5772	05-01-2019
227	कोषागार बरेली	अनिल कुमार श्रीवास्तव	लेखाधिकारी	13755	5769	05-01-2019
228	कोषागार बरेली	जगत प्रकाश गुप्ता	अधि० अभि०	12018	6142	16-01-2019
229	कोषागार बरेली	सरस्वती गुप्ता पत्नी स्व० राम प्रसाद	मु० अभि०	6808	5169	01-01-2019
230	कोषागार बरेली	आदर्श कुमार सक्सेना	उपमहाप्रबन्धक	8984	4342	07-12-2018
231	कोषागार बरेली	सैयद विकार अली	अधि० अभि०	8493	4540	10-12-2018

232	कोषागार बरेली	अशोक कुमार मित्तल	अधि० अभि०	11751	6083	14-01-2019
233	कोषागार प्रयागराज	जितेन्द्र बहादुर सिंह	सहा० अभि०	11764	6159	16-01-2019
234	कोषागार प्रयागराज	देवदास बनर्जी	खण्डीय लेखाकार	12192	6208	17-01-2019
235	कोषागार मथुरा	किशन स्वरूप ऐलन	मु० अभि०	6936	3422	17-10-2018
236	कोषागार मथुरा	जगदीश प्रसाद बंसल	सहा० अभि०	7948	4751	20-12-2018
237	कोषागार मथुरा	श्रीकृष्ण शर्मा	सहा० अभि०	7795	4875	25-12-2018
238	कोषागार मथुरा	याम दत्त दीक्षित	अधि० अभि०	12066	5238	04-11-2019
239	कोषागार मथुरा	संतोष कुमार जैन	सहा० अभि०	12073	6200	17-01-2019
240	कोषागार मुजफ्फरनगर	सुमित्रा लाल पत्नी स्व० बी०एम० लाल	अधि० अभि०	7513	5898	09-01-2019
241	कोषागार मुजफ्फरनगर	चन्द्र दत्त शर्मा	सहा० अभि०	9466	4479	07-12-2018
242	कोषागार मुजफ्फरनगर	नाथी राम	सहा० अभि०	10618	4564	10-12-2018
243	कोषागार मुजफ्फरनगर	कृष्ण पाल वर्मा	लेखाकार	13305	4860	25-12-2018
244	कोषागार मुजफ्फरनगर	राम किशोर कपूर	सहा० लेखाधिकारी	13635	5770	05-01-2019
245	कोषागार मुजफ्फरनगर	विमलेश शर्मा पत्नी स्व० सतीशचन्द्र शर्मा	सहा० अभि०	9896	4377	07-12-2018
246	कोषागार मुजफ्फरनगर	पुष्पा शर्मा पत्नी स्व० राजकुमार	सहा० अभि०	7542	6207	17-01-2019
247	कोषागार मुजफ्फरनगर	मदन गोपाल रोहिला	सहा० अभि०	12451	5776	05-01-2019
248	कोषागार अलीगढ़	अहमद अली खॉ	अधि० अभि०	13823	4257	04-01-2019
249	कोषागार अलीगढ़	कमलेश शर्मा पत्नी स्व० प्रेम पाल शर्मा	सहा० अभि०	10544	5879	08-01-2019
250	कोषागार अलीगढ़	शारदा वार्ष्ण्य पत्नी स्व० गौरीशंकर वार्ष्ण्य	अधि० अभि०	7165	5902	09-01-2019
251	कोषागार अलीगढ़	सुरेश कुमार राठौर	सहा० अभि०	10521	5895	09-01-2019
252	कोषागार अलीगढ़	राम स्वरूप	अधि० अभि०	7552	6196	17-01-2019
253	कोषागार अलीगढ़	बनवारी लाल	अधि० अभि०	10918	5763	04-01-2019
254	कोषागार अलीगढ़	रमेश चन्द्र शर्मा	मु० अभि०	6271	4441	07-12-2018

255	कोषागार अलीगढ़	उपेन्द्र प्रसाद बोस	उपमहाप्रबन्धक	8637	4547	10-12-2018
256	कोषागार अलीगढ़	विश्वनाथ सिंह	सहा० लेखाधिकारी	13846	5836	07-01-2019
257	कोषागार अलीगढ़	ज्ञान प्रकाश भारद्वाज	अधि० अभि०	12027	5847	08-01-2019
258	कोषागार अलीगढ़	रामा शंकर	सहा० अभि०	8125	5849	08-01-2019
259	कोषागार अलीगढ़	सैयद शाहनवाज अहमद	अधि० अभि०	12656	6144	16-01-2019
260	कोषागार अलीगढ़	शोभा सिंघल पत्नी स्व० एस०सी० सिंघल	अधि० अभि०	7527	5960	10-01-2019
261	कोषागार अलीगढ़	शमा परवीन नकवी पत्नी स्व० मोहम्मद अली	सहा० अभि०	10502	5933	09-01-2019
262	कोषागार अलीगढ़	अशोक कुमार जैन	अधि० अभि०	11410	6178	16-01-2019
263	कोषागार अलीगढ़	आरिफा पत्नी स्व० नसीर बख्श	सहा० अभि०	10004	5820	07-01-2019
264	कोषागार अलीगढ़	गंगा राम	अधि० अभि०	11224	5203	03-01-2019
265	कोषागार अलीगढ़	गायरी शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण मोहन शर्मा	अधि० अभि०	7502	5235	04-01-2019
266	कोषागार अलीगढ़	डी०पी० सिंह	अधि० अभि०	7436	5806	07-01-2019
267	कोषागार वाराणसी	बाला सुब्रामनियम	सहा० अभि०	8716	5969	10-01-2019
268	कोषागार वाराणसी	राम शरण राय	सहा० अभि०	9163	5249	04-01-2019
269	कोषागार वाराणसी	जय प्रकाश तिवारी	सहा० अभि०	13555	5764	04-01-2019
270	कोषागार वाराणसी	लाल चन्द्र कुशवाहा	सहा० अभि०	8885	6198	17-01-2019
271	कोषागार वाराणसी	सावित्री रानी सिंह पत्नी स्व भानु प्रताप सिंह	सहा० अभि०	9601	5234	04-01-2019
272	कोषागार वाराणसी	परशुराम राम	अधि० अभि०	10921	4558	10-12-2018
273	कोषागार वाराणसी	गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव	मु० अभि०	7543	6163	16-01-2019
274	कोषागार वाराणसी	श्रीकान्त पाठक	उपमहाप्रबन्धक	9487	5819	07-01-2019
275	कोषागार वाराणसी	राजवंश सिंह	सहा० अभि०	9967	5822	07-01-2019
276	कोषागार वाराणसी	शेखर मुखर्जी	सहा० अभि०	12285	5206	03-01-2018
277	कोषागार वाराणसी	विजय कुमार वर्मा	सहा० अभि०	7504	5833	07-01-2019

278	कोषागार वाराणसी	स्वप्न कुमार मजूमदार	सहा० अभि०	11447	5945	09-01-2019
279	कोषागार वाराणसी	पतियार राम	सहा० अभि०	9585	5926	09-01-2019
280	कोषागार वाराणसी	अवधेश मणि त्रिपाठी	मु० महाप्रबन्धक	9112	5939	09-01-2019
281	कोषागार वाराणसी	मूल नारायण तिवारी	सहा० अभि०	11061	4877	26-12-2018
282	कोषागार वाराणसी	सुरेन्द्र प्रसाद	अधि० अभि०	12863	5956	10-01-2019
283	कोषागार वाराणसी	राम अवध सिंह	सहा० अभि०	10610	5957	10-01-2019
284	कोषागार वाराणसी	अमरेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० अभि०	9637	5961	10-01-2019
285	कोषागार वाराणसी	ब्रह्म नारायण बसक	सहा० अभि०	10107	5144	29-12-2018
286	कोषागार वाराणसी	विजय सुन्दर वर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	13822	4535	10-12-2018
287	कोषागार वाराणसी	अयोध्या तिवारी	सहा० अभि०	9146	5158	31-12-2018
288	कोषागार वाराणसी	राजा राम सिंह	सहा० अभि०	12421	5176	03-01-2019
289	कोषागार वाराणसी	दान बहादुर सिंह	वरिष्ठ कार्मिक अधि०	9963	5178	02-01-2019
290	कोषागार वाराणसी	आनन्द स्वरूप	सहा० अभि०	11508	5186	02-01-2019
291	कोषागार वाराणसी	रंगनाथ मिश्र	सहा० अभि०	11125	5183	02-01-2019
292	कोषागार वाराणसी	दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० अभि०	11544	4759	20-12-2018
293	कोषागार वाराणसी	सुरेश सिंह	मु० अभि०-प्रथम	8179	5800	07-01-2019
294	कोषागार इलाहाबाद	विक्रम प्रसाद वर्मा	सहा० अभि०	10911	4537	10-12-2018
295	कोषागार इलाहाबाद	कृष्ण कान्त वर्मा	मु० महाप्रबन्धक	10173	5934	09-01-2019
296	कोषागार इलाहाबाद	कैलाश प्रसाद वर्मा	सहा० लेखाधिकारी	10416	5205	03-01-2019
297	कोषागार इलाहाबाद	विजय नाथ सिंह	सहा० अभि०	11914	4269	30-11-2018
298	कोषागार इलाहाबाद	यमुना प्रसाद विश्वकर्मा	सहा० अभि०	9241	5896	09-01-2019
299	कोषागार इलाहाबाद	अमरनाथ	सहा० अभि०	7998	5792	07-01-2019
300	कोषागार इलाहाबाद	उमेश नारायण शक्ल	सहा० अभि०	9551	4612	11-12-2018
301	कोषागार इलाहाबाद	तरुण श्रीवास्तव	अधि० अभि०	12441	5798	07-01-2019
302	कोषागार गौतमबुद्धनगर	सावित्री शर्मा पत्नी स्व० गोपी नाथ शर्मा	सहा० अभि०	6855	5787	07-01-2019
303	कोषागार गौतमबुद्धनगर	गुरु प्रसाद सिंह	सहा० अभि०	10140	4379	07-12-2018
304	कोषागार गौतमबुद्धनगर	शिव चरन गोयल	अधि० अभि०	11775	576A	05-01-2019

305	कोषागार गौतमबुद्धनगर	जगदीश प्रसाद मिश्रा	मु० अभि०	7596	6138	16-01-2019
306	कोषागार गौतमबुद्धनगर	सुकमल चन्द्र जैन	मु० अभि०	11628	4438	07-12-2018
307	कोषागार गौतमबुद्धनगर	सुनील सिंह	सहा० अभि०	10753	4445	07-12-2018
308	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राजेन्द्र कुमार जैन	सहा० अभि०	11800	5968	10-01-2019
309	कोषागार मुजफ्फरनगर	चन्द्र मानपुरी	सहा० अभि०	10566	6135	16-01-2019
310	कोषागार नोएडा	विनोद कुमार सिन्हा	मु० अभि०	13400	5846	08-01-2019
311	कोषागार नोएडा	कौशल किशोर मित्तल	मु० अभि०	13620	4504	07-12-2018
312	कोषागार मेरठ	दिवाकर गुप्ता	अधि० अभि०	11575	5214	03-01-2019
313	कोषागार मेरठ	विजेन्द्र सिंह	अधि० अभि०	11777	6090	14-01-2019
314	कोषागार मेरठ	श्याम मुरारी लाल बतरा	सहा० अभि०	7926	5253	04-01-2019
315	कोषागार मेरठ	रवीन्द्र सिंह	मु० अभि०	7620	5236	04-01-2019
316	कोषागार मेरठ	ऋषि पाल कारावाल	लेखाकार	11054	5237	04-01-2019
317	कोषागार मेरठ	बिजेन्द्र प्रकाश रस्तोगी	उपमहाप्रबन्धक	8756	27-10-1915	05-01-2019
318	कोषागार मेरठ	मंजीत कौर पत्नी स्व० दर्शन सिंह नागी	सहा० अभि०	8249	5791	07-01-2019
319	कोषागार मेरठ	राजरानी जैन पत्नी स्व० उमेश चन्द्र जैन	उपमहाप्रबन्धक	10230	5768	05-01-2019
320	कोषागार मेरठ	सर्वेश कुमार अग्रवाल	महाप्रबन्धक	8498	5823	07-01-2019
321	कोषागार मेरठ	सियानन्द त्यागी	मु० अभि०	11153	5831	07-01-2019
322	कोषागार मेरठ	रमेश चन्द्र जैन	अधि० अभि०	11345	5219	03-01-2019
323	कोषागार मेरठ	विजय प्रकाश	मु० अभि०	7900	5921	09-01-2019
324	कोषागार मेरठ	अशोक कुमार मित्तल	सहा० अभि०	13153	4785	22-12-2018
325	कोषागार मेरठ	नरेश कुमार	सहा० लेखाधिकारी	13127	4786	22-12-2018
326	कोषागार मेरठ	कमलेश ढाका पत्नी स्व० ब्रह्म सिंह ढाका	महाप्रबन्धक	8552	4407	07-12-2018
327	कोषागार मेरठ	कन्हैया लाल शर्मा	अधि० अभि०	12473	4500	07-12-2018
328	कोषागार मेरठ	सत्यदेव भारद्वाज	महाप्रबन्धक	9758	4485	07-12-2018

329	कोषागार मेरठ	सरिता जैन पत्नी स्व० कुमरेश कुमार जैन	अधि० अभि०	8173	4795	24-12-2018
330	कोषागार मेरठ	बंगाली बाबू	सहा० अभि०	8213	4794	24-12-2018
331	कोषागार मेरठ	विजय कुमार	मु० अभि०	8311	4263	24-11-2018
332	कोषागार मेरठ	विजय कुमार अरोरा	सहा० अभि०	12128	4857	25-12-2018
333	कोषागार मेरठ	महेश कुमार	उपमहाप्रबन्धक	9492	4867	25-15-18
334	कोषागार मेरठ	बृज मोहन शर्मा	वरिष्ठ लेखाधिकारी	8787	4544	10-12-2018
335	कोषागार मेरठ	रमेश चन्द्र	सहा० अभि०	11852	4484	07-12-2018
336	कोषागार मेरठ	अरुण कुमार शर्मा	महाप्रबन्धक	9924	4757	20-12-2018
337	कोषागार मेरठ	नरेश चन्द्र गुप्ता	अधी० अभि०	7136	4858	25-12-2018
338	कोषागार मेरठ	पुष्प लता पत्नी स्व० राधे श्याम गुप्ता	सहा० लेखाकार	8228	4753	20-12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, महाराजगंज।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मिश्री प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2059	13.11.2002
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती कैलासी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	05.12.1946	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-09-2002	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	#8550-13500 GP 5400/600	
(घ)	वेतन	Rs. 11,300.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 12,710.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	Rs. 2,249.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,461.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 7,626.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 10	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 69,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 34,500.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 34,500.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,249.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 32,251.00(up to 12.02.17) Rs. 34,500.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 20,700.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 1801 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9375/02-03

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज।

2. श्री मिश्री प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम व पोस्ट महुआवां शुक्ल, जनपद महाराजगंज इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, महाराजगंज से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र०पा०का०लि०

शक्ति भवन, लखनऊ







# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10136/2004-05

दिनांक 22/10/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, रायबरेली।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	2805
(ख) पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	30.09.2004
(ग) जन्मतिथि	10.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त तिथि	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000(37400-67000)Grade Pay 8900
(घ) वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ) मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख) निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ) राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3451 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10136/2004-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, म०वि०वि०नि०लि०, रायबरेली।

2. श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- ए-10 आवास विकास, इन्द्रा नगर, रायबरेली-226001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, रायबरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

Pension PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12247/2010-11

दिनांक 23/10/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री आत्मा सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5146 24.01.2011
(ग)	जन्मतिथि	02.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विद्यावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 62,160.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 31,080.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,432.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,648.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,648.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,432.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 68,218.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3461 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12247/2010-11

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया।

2. श्री आत्मा सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- इन्दिरा नगर (सी०सी० रोड), हनुमान मन्दिर से उत्तर, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन)

दिनांक 23/10/2018

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषागार, देवरिया



# उपरोक्त कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9458/2002-03

दिनांक 23/10, 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सत्यनारायण मिश्र, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2368 24.09.2003
(ग)	जन्मतिथि	24.05.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.11.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.05.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400(37400-67000)Grade Pay 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,921.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,429.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 162,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 77,462.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	Rs. 72,100.00
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 77,462.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,921.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 73,541.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3467 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9458/2002-03

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, म०वि०वि०नि०लि०, रायबरेली।

2. श्री सत्यनारायण मिश्र, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता- एम-19, अमरेशपुरी कालोनी, कानपुर रोड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, रायबरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ **10674/2005-06** दिनांक **21/10/2018**

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजीपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कमला देवी स्व० लल्लन सिंह, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3327	29.11.2005
(ग)	जन्मतिथि	18.07.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.09.1946	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005/18.06.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	मूल पेंशन	N/A	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	N/A	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) दिनांक 01.01.2016 से	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3510 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10674/2005-06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।

2. श्रीमती कमला देवी स्व० लल्लन सिंह, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता पता- द्वारा श्री केशवचन्द्र, 63 जानकीपुरम कालोनी, पो०आ०-वज्ररडीहा, जिला-वाराणसी (उ०प्र०) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजीपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(रातीश चन्द्र वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं- ३०५०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9553/2003-04 दिनांक 25/10/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजीपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री कृष्ण कान्त राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2741	28.08.2004
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि		30.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000)	Grade Pay 8900
(घ)	वेतन		Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन		Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,39,100.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3577/ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9553/2003-04 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।

2. श्री कृष्ण कान्त राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- तिलक नगर, महुवा बाग, गाजीपुर (उ०प्र०) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजीपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
(रातीश चन्द्र वर्मा)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CJN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8499/2000-01

दिनांक 25/10 .2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रामलगन प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1209	13.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	30.06.2000	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	(8550-13500) / 9300 - 34800 29544	
(घ)	वेतन	Rs. 11,850.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 13,113.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,320.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,793.00 दिनांक 12.02.2016 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 7,868.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 10	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 71,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 35,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 35,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,320.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	रु० 33230.00 दि० 12.02.16 तक तदुपरान्त रु० 35550/-	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 21,330.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3553 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8499/2000-01

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया।

2. श्री रामलगन प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- ग्राम -माडीपार बुजुर्ग, माडीपाल खुर्द, बरहरा, देवरिया-274001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(राजीव चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

11957/2009-10

दिनांक 25/10/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सैय्यद मोहम्मद खान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		सेवानिवृत्त
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4922	03.06.2010
(ग)	जन्मतिथि		27.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राबिया खॉन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1961
2(क)	सेवानिवृत्त तिथि		31.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 Grade Pay 8900
(घ)	वेतन		Rs. 62,160.00
(ङ)	मूल पेंशन		Rs. 31,080.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 10,022.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 21,058.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 18,648.00
(ण)	पेंशन योग्य अहकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,61,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 80,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अहकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 80,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 10,022.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		Rs. 70,628.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 48,390.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 3562 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11957/2009-10

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।

2. श्री सैय्यद मोहम्मद खान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- मोहल्ला-गोविन्द बाग, निकट पुरानी मस्जिद, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बलरामपुर से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश प्रताप वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०पा०का०लि०  
लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

7692/1997-98

दिनांक 27/10/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बुलंदशहर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हुकुम चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	325 03.09.1997
(ग)	जन्मतिथि	20.03.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती दयारानी शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	26.12.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.03.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(21350-525-23975) (63000-78000)
(घ)	वेतन	Rs. 21,875.00
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 29,050.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनस्थापित दि० 03.12.2012
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 29,050.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 17,430.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 15
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 171,400.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,700.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,700.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	पुनस्थापित दि० 03.12.2012
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 85,700.00 दिनांक 01.01.2018
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 51,420.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3601 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 7692/1997-98

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2. श्री हुकुम चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता पता- 345, गुलमोहर एन्क्लेव, नजीमपुरा भूड, बुलंदशहर-203001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बुलंदशहर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सिद्धेश्वर चन्द बिर्मि)

सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता

उ०प्र०पा०का०लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10014/2004-05

दिनांक 27/10, 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, अम्बेडकर नगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री केदार नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2828 19.10.2004
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1968
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अरुणलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,560.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,735.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,560.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,990.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3609 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10014/2004-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अम्बेडकर नगर।

2. श्री केदार नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- ग्राम-नाऊसांडा, पो-केदार नगर, जिला-अम्बेडकर नगर-224230 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अम्बेडकर नगर से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(रातीश चन्द्र वर्मा)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10014/2004-05  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)  
पेंशन PENSION  
CIN: U3220IUP1999SGC 024928

पत्र सं० उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/10752/05-06

दिनांक :- 29/10/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार,  
उन्नाव।

विषय :- कारपोरेशन आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.17 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निम्न कारपोरेशन के आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री बिदेशी हरिजन, अधिशासी अभियन्ता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
	(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
	(ख) पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	3402 दिनांक 30.01.06
	(ग) जन्मतिथि	29.08.47
	(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती फूल कली
	(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.	(क) रोवानिवृत्त/ तिथि	31.08.05
	(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवाँ वेतनमान
	(ग) वेतनमान/वेतन वैड (ग्रेड पे)	(16400-20000)(37400-67000) ग्रेड पे. (8900)
	(घ) वेतन	रु० 20,000=00/- प्रतिमाह
	(ङ) मूल पेंशन	रु० 24,295=00/- प्रतिमाह
	(च) पेंशन का राशिकृत भाग	रु० 3105=00/-
	(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	रु० 21,190=00/-
	(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
	(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	रु० 14,577=00/-
	(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	(66 छमाहियों)
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
	(क) पेमेंटिक्स तालिका न० (आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.18 के अनुसार)	13 नं०
	(ख) उक्त के अनुसार निर्धारित वेतन	रु० 1,39,100=00/-
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
	(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	रु० 69,550=00/-
	(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
	(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.18 के अन्तर्गत लागू वेतन	
	मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
	(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो	
	दिनांक 01.01.2016 से पेंशन अनुमन्य होगी,	रु० 69,550=00/-
	(राशिकरण से पूर्व)	
	(ङ) राशिकृत पेंशन (राशिकरण के उपरान्त)	रु० 3105=00/-
	(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित	रु० 66,445=00/-
	हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये।	
	(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204)	-
	(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	रु० 41,730=00/-
	(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% अतिरिक्त पेंशन 30.09.19 से	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.16 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 365/ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/10752/05-06 तत्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पू०वि०वि०नि०लि०, उन्नाव।

2. श्री बिदेशी हरिजन, से०नि० अधि० अधि०, म०न०-680, पीताम्बर नगर (निकट राजकीय अनु० जाति छात्रावास), लखनऊ बाईपास, जनपद-उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

(सतीश चन्द्र वर्मा)

(सतीश चन्द्र वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10577/05-06

दिनांक 30/10, 2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, अम्बेडकरनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री वेद प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3234	12.09.2005
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कलारानी मिश्रा (पत्नी)	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 G.P. 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 66,510.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3683 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10577/05-06

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

2. श्री वेद प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- संगम पैलस, साबुन विभाग रोड, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(राजीव चन्द्र वर्मा)

सहायक लेखा

कोषागार, अम्बेडकरनगर

लखनऊ, उ०प्र०

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11213/06-07

दिनांक 30/10/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, हाथरस।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राम किशन अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3990	07.05.2007
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती महेश्वरी देवी अग्रवाल	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2006	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बेड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 56,870.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 28,435.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 7,402.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,033.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 17,061.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 147,600.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 73,800.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 73,800.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 7,402.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 66,398.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,280.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3685 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11213/06-07

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हाथरस।

2. श्री राम किशन अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-विनोबा नगर, निकट नारायण नेत्र चिकित्सालय, शादाबाद, जिला हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, हाथरस से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(राजीव चन्द्र वर्मा)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

शक्ति भवन, लखनऊ-20



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8669/2000-01

दिनांक 2/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मिर्जापुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शारदा रानी पत्नी स्व० दिलीप कुमार दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2946 23.12.2004
(ग)	जन्मतिथि	N/A
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.09.1955
2(क)	दिवंगत तिथि	05.10.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 17,300.00
(ङ)	मूल पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,31,100.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 39,330.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3170 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8669/2000-01

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतहॉ, मिर्जापुर।

2. श्रीमती शारदा रानी पत्नी स्व० दिलीप कुमार दिवंगत सहायक अभियन्ता, पता- ग्राम-जोगिया गढ़ी, पोस्ट-हरिहरपुर बदौली (वन विभाग के पास), मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मिर्जापुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
(रुनीश चन्द्र उर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार, मिर्जापुर



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8229/1999-2000

दिनांक २/११/२०१८

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रामाश्रय प्रसाद, सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1082 27.07.2000
(ग)	जन्मतिथि	02.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2(क)	सेवानिवृत्त तिथि	28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/ वेतन बेंड (ग्रेड पे)	14300-18300 (37400-67000) Grade Pay 8700
(घ)	वेतन	Rs. 15,500.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 23,050.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,23,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 61,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 61,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 36,930.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3781 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8229/1999-2000

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया।

2. श्री रामाश्रय प्रसाद, सेवानिवृत्त लेखाकार पता- ग्राम -मामखोर, पो०-खरबैजखोर, जिला-गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०पा०का०लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP19995GC024928

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9950/04-05

दिनांक २/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, रामपुर.

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक सहायक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2937 18-12-04
(ग)	जन्मतिथि	02.07.46
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमति उषा यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.03.47
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) (5000-6300) (16400-20000)	(16,400-20,000)GP8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 30,40.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) (20 प्रतिशत 01.01.16 से)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3797 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9950/04-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण परीक्षण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर(उ०प्र०)

2. श्री जितेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-17-बी, शिवा पुरम कालोनी, सिविल, लाइस रामपुर, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, रामपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सलीश चन्द्र वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र०

रामपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SC024928

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8706/2000-2001

दिनांक 5/11/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, हाथरस।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह, सेवानिवृत्त सा०अभि० का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1614 12/11/2001
(ग)	जन्मतिथि	1/7/1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(18400-22400)(37400-67000)GP10000
(घ)	वेतन	Rs. 20,400.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	27350 wef 20.07.2010
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3040(पुनर्स्थापित 21.02.2017)
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 24,310.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 148,500.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 74,250.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 74,250.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	71210 (wef.01-01-2016 to 20.02.17) तदुपरान्त Rs.74250/प्र०म०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,550.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3836 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8706/2000-2001

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हाथरस।

2. श्री मोहन सिंह, सेवानिवृत्त सा०अभि०, पता- गाँव-अहरई,पोस्ट-पटौनी, जनपद हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,हाथरस से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9054/2001-2002 दिनांक 5/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री कौशल किशोर पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1791 22.04.2002
(ग)	जन्मतिथि	08.10.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री प्रतिमा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3020 (पुनर्स्थापित 05.06.17)
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,275.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3020 (पुनर्स्थापित 05.06.17)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	रु० 66530.00 दि० 01.01.16 से 04.06.17 तक एवं तदुपरान्त रु० 69550.00 दि० 04.07.17 पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।


लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3837 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9054/2001-2002 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, लखनऊ।
- श्री कौशल किशोर पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- के-16 ए, यशोदा नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
 लेखाधिकारी (पेंशन)  
 (सतीश चन्द्र वमा)  
 लेखाधिकारी (पेंशन)  
 उ०प्र०पा०का०लि०  
 शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

8634 / 2000-01

दिनांक 13/11/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, लखीमपुर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तद्वक्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मिर्जा जाकिर अली बेग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3920	06.02.2007
(ग)	जन्मतिथि	28.01.1943	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जैबुनिसा बेगम	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1946	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.2001	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/ GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 19,550.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन 1% दण्ड के बाद	Rs. 24,305.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,919.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	21386 दिनांक 17.01.2018 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)।	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 1% दण्ड के बाद	Rs. 68,855.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,919.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	65,936.00 दि० 17.01.18 तक तद्दुपरान्त रू० 68,855.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3906 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8634 / 2000-01

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, म०वि०वि०नि०, लखीमपुर।

2. श्री मिर्जा जाकिर अली बेग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-152 शाहपुरा कोठी, लखीमपुर (खोरी) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखीमपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०पा०का०लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

**U.P. Power Corporation Limited**  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION

CIN: U32201UPI999SGC 024928

पत्र सं० उ०प्र०/लेखा/पेंशन/10449/05-06

तत्दिनांक 13/11/18

कोषाधिकारी,  
कोषागार,  
नोएडा

विषय :- कारपोरेशन आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.17 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अर्न्तगत श्री अरूण कुमार मल्होत्रा, से०नि० अधिशासी अभियन्ता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	4443 दिनांक 13.05.2009
(ग) जन्मतिथि	05.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सलोनी मल्होत्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.07.1958
41. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	29.02.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	(18400-22400) 37400-67000+10000
(घ) वेतन	22400/-
(ङ) अन्तिम पेंशन	25983/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3800/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	22183/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16410/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमागियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क) पेमेंटिक्स तालिका नं० (आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.18 के अनुसार)	14
(ख) उक्त के अनुसार निर्धारित वेतन	162300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित	-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	81150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.18 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 से पेंशन अनुमन्य होगी, (राशिकरण से पूर्व)	81150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3800/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनरस्था हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये।	77350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	48690/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.16 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 3915 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/10449/03-04

तत्दिनांक

प्रतिक्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प०वि०वि०नि०लि०, नोएडा।
2. श्री अरूण कुमार मल्होत्रा से०नि० अधिशासी अभियन्ता, पत्नी श्रीमती बीना सूरी, पता एस-107 ग्रेटर कैलास पार्ट-2 नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10263/04-05

दिनांक 13/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, शामली।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री लोकेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2992 29.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	15.03.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती माधुरी अग्रवाल (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.03.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,896.00
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,399.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 67,443.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 65,550.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	Rs. 67,443.00
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 67,443.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,896.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 64,547.00
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०- 3912 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10263/04-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, शामली (मुजफ्फरनगर)।

2. श्री लोकेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- म०न० 934, दयानन्द नगर, सुनाष की चककी के पास शामली, जिला मुजफ्फरनगर 247776 (उ०प्र०) 202011 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, शामली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)  
(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
संसाधन विभाग  
शक्ति भवन, लखनऊ

कोषाधिकारी,  
कोषागार, शाहजहाँपुर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मंजू गौतम पत्नी स्व० विनोद प्रकाश गौतम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3662 24.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	05.12.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू गौतम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.09.1947
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2000/06.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/18400-22400 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 20,400.00
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 148,500.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,550.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-3921 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10612/05-06


तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर।

2. श्रीमती मंजू गौतम पत्नी स्व० विनोद प्रकाश गौतम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-विशाल खाट मण्डार, निकट हथौडा रेली रोड, शाहजहाँपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, शाहजहाँपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पा०को०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



लेखाधिकारी (पेंशन)  
(सतीश चन्द्र वर्मा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०पा०को०लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- 30म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12837/2012-13

दिनांक 17/11/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, सम्मल।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती आफताबी बेगम पत्नी स्व० नईम अख्तर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5869	18.10.2012
(ग)	जन्मतिथि	N/A	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आफताबी बेगम	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.03.1959	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.2012	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) Grade Pay 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 62,460.00	
(ङ)	मूल पेंशन	N/A	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 31,230.00 upto 31.01.2022	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,738.00	
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00	
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	N/A	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 80,650.00 upto 31.01.2022	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3927 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12837/2012-13

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी।

2. श्रीमती आफताबी बेगम पत्नी स्व० नईम अख्तर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- मौहल्ला मियाँ सराय, सम्मल (भीमनगर) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सम्मल से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

2018

के अतिरिक्त

2018



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10558/2005-06

दिनांक 15/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बिजनौर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम दीपक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3287	15.10.2005
(ग)	जन्मतिथि	15.08.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा गौड़	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1954	
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.08.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 3028 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10558/2005-06

तददिनांक

प्रतिलिपि निर्मललिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।

2. श्री प्रेम दीपक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- द्वारा कपिल शर्मा, शक्ति नगर, वैराज रोड, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बिजनौर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGCo24928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12394/2010-11

दिनांक (6/11) 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोण्डा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5354 19.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	20.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लीलावती श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त तिथि	31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	(15600-39100) Grade Pay Rs. 6600
(घ)	वेतन	Rs. 33,060.00
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 16,530.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,612.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 9,918.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 9,918.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 11
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 85,800.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 42,900.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 42,900.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,612.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 36,288.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 25,740.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-398/ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12394/2010-11

तददिनांक

प्रतिलिपि त्रिमल्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोण्डा।

2. श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता- मं० न० 389 छेदी पुरवा, भूषण स्टूडियो के पीछे आवास विकास कालोनी, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोण्डा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(संतोषी लाल शर्मा)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
कोषागार, गोण्डा  
दिनांक 06/11/2018  
(संतोषी लाल शर्मा)  
(संतोषी लाल शर्मा)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13481/14-15

दिनांक 19/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बिजनौर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मोम्मद आसिम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6951	05-01-2016
(ग)	जन्मतिथि	20-06-1954	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इफ्त खानम	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1955	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06-014	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 65,940.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 32,970.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 32,970.00	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,782.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,71,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(गो(1))	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 51,330.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 4632 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13481/14-15

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर।

2. श्री मोम्मद आसिम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-निकट मुस्लिम फण्ड, ईदगाह रोड, काजीपाडा, बिजनौर इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बिजनौर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा०का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
श्रीमती इफ्त खानम  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा०का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

7213/1993-94

दिनांक 19/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कुशीनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० विजय बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	9642 26.05.1994
(ग)	जन्मतिथि	N/A
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सावित्री देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	05.10.1935
2.(क)	दिवंगत तिथि	23.03.1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) Grade Pay 8700
(घ)	वेतन	Rs. 4,750.00
(ङ)	मूल पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 13,830.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,23,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 61,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 36,930.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 80 वर्ष पूर्ण करने पर 20 %	Rs. 7,386.00

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4052 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 7213/1993-94

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कसया, कुशीनगर।

2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० विजय बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता पता- मो० कन्नौजिया वार्ड, पश्चिमी पड़रौना, जनपद-कुशीनगर-274304 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कुशीनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



संघीय लोकसेवा आयोग  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



पत्र सं०- / उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8311/99-2000

दिनांक-

29/11/18

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	945	24.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	15.01.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शशिबाला	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	07.09.1948	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनर्स्थापित 28.03.2015	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 27,350.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	Rs. 81,150.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.17	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4263 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8311/99-2000

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
2. श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता पता- 36/3 सिविल लाइन्स, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश सरकार  
कारपोरेशन लि०  
(उत्तर प्रदेश का स्थापना)



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11914/09-10

दिनांक 30/11/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार इलाहाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4816 20.03.2010
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती कौशल्या सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	20.08.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 62,160.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 31,080.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 10,022.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,058.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,641.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 10,022.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,628.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4269 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/11914/09-10

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57-जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री विजय नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-2/84, दलेल कापूरा, वाघम्बरी रोड, अल्लापुर इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उपरोक्त प्रकार का उपकरण

U.P. Power Corporation Limited

पेंशन (PENSION)

उपरोक्त प्रकार का उपकरण



पत्र सं०.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/14408/18-19

दिनांक: 5 नवम्बर, 2018

दिसम्बर

अधिसासी अभियन्ता,  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,  
मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०,  
गोण्डा।

विषय:- स्व० श्याम बिहारी सहायक लेखाधिकारी, (दिवंगत तिथि 14.08.18) के पारिवारिक  
पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० 4402/वि०वि०ख०-प्रथम (गो०)/पेंशन दि० 29.10.18 का  
सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से स्व० श्याम बिहारी सहा० लेखाधिकारी, के पारि० पेंशन प्रकरण सम्बन्धी प्रपत्र  
इस कार्यालय को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये है। स्व० श्याम बिहारी के पारिवारिक पेंशन प्रकरण सम्बन्धी  
प्राप्त प्रपत्रों की जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियों संज्ञान में आयी है:-

1. स्व० श्याम बिहारी के निम्नलिखित सेवा अवधि के अदेयता प्रमाण पत्र पारि० पेंशन हेतु प्रेषित प्रपत्रों के साथ  
प्राप्त नहीं हुये:-

अवधि	तैनाती स्थल	पद
i. दि० 27.01.1986 से 06.08.2001	के०लेखा कार्यालय शक्ति भवन, लखनऊ	सहायक लेखाकार
ii. दि० 04.10.2008 से 06.08.2013	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद	लेखाकार
iii. दि० 13.08.2013 से 09.03.2015	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोण्डा	लेखाकार
iv. दि० 10.03.2015 से 14.08.2018	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोण्डा	सहा० लेखाधिकारी

(2). दि० 13.08.2013 से 14.08.2018 तक की अवधि का आवास अदेयता प्रमाण पत्र

(3). अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र

अतः उपरोक्त वांछित प्रपत्रों को यथा शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि  
स्व० श्याम बिहारी के उत्तराधिकारियों को पारि० पेंशन प्राधिकृत किये जाने हेतु अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

लेखाधिकारी(पेंशन)

पत्र सं० 4311

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. लेखाधिकारी (प्रशा०) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय  
से प्रेषित कि स्व० श्याम बिहारी के दि० 27.01.1986 से 06.08.2001 तक की सेवा अवधि का अदेयता प्रमाण पत्र  
इस कार्यालय का प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

✓ 2. अधि०अभि०, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्व० श्याम बिहारी जो कि  
आपके खण्ड में दि० 04.10.2008 से 06.08.2013 तक लेखाकार के पद पर तैनात रहे थे, का अदेयता प्रमाण पत्र  
उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे ताकि इनके पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

3. श्रीमती मीना रस्तोगी पत्नी स्व० श्याम बिहारी, पता- मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ।

लेखाधिकारी(पेंशन)



उपरोक्त कारपोरेशन लि०

(वि० कारपोरेशन का उपमहाप्रबन्धक)

पता-197, प्रेम नगर, बरेली



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8984/2001-02

दिनांक 7.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बरेली।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री आर्दश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1852	13.06.2002
(ग)	जन्मतिथि	30.11.1943	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि सक्सेना	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.07.1948	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2001	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,090.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,260.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 81,150.00	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,090.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	रु० 77,060 दि० 11.09.2017 तक तदुपरान्त रु० 81,150/-प्र०म०,	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4342-उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/8984/2001-02

तद्दिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विद्युत खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्री आर्दश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-197, प्रेम नगर, बरेली इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

संशोधित/संशोधित  
रवीन्द्रनाथ  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार, बरेली



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8984/2001-02

दिनांक 7/12, 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री आर्दश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1852	13.06.2002
(ग)	जन्मतिथि	30.11.1943	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि सक्सेना	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.07.1948	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2001	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,090.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,260.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 81,150.00	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,090.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	रु० 77,060 दि० 11.09.2017 तक तदुपरान्त रु० 81,150/-प्र०म०.	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4342 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/8984/2001-02

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विद्युत खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्री आर्दश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-197, प्रेम नगर, बरेली इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

लेखाधिकारी (पेंशन)

रजिस्ट्रार  
 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/8984/2001-02  
 शांति भवन, लखनऊ



कोषाधिकारी,  
कोषागार, रायबरेली।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2460 27.12.2003
(ग)	जन्मतिथि	10.09.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सूर्यकली
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4349 / उ०प्र०/ लेखा / पेंशन / 9719 / 03-04


तद्दिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, रायबरेली।

2. श्री रामेश्वर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-8/16, मगवतनगर, कौर कालोनी, जिला-रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, रायबरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
 लेखाधिकारी (पेंशन)  
 मन्त्री कार्यालय, रायबरेली  
 उ० प्र० पा० का० लि०  
 शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10513/05-06

दिनांक 4/12/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, बहराइच।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-277 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री धनलाल गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3240	13.09.2005
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रावती	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.01.1957	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4366 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10513/05-06

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच।

2. श्री धनलाल गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-सिविल लाइन (दयानन्द मार्ग), सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल के पास, बहराइच को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बहराइच से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9896/2003-04

दिनांक 7.12.2018

कोषाधिकारी

कोषागार, मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी स्व० सतीश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2700 30.07.2004
(ग)	जन्मतिथि	N/A
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमलेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.08.1947
2 (क)	दिवंगत तिथि	30.06.2003/13.07.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-५३७७ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9896/2003-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

2. श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी स्व० सतीश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता पता- 229/19, साकेत कालोनी, निकट मस्जिद, रेलवे लाइन, मुजफ्फरनगर-251001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10140/2004-05

दिनांक 7.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्ध नगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री गुरु प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिर्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6965	19.01.2016
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती परमजीत कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.05.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000 (37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन		Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन		Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 14,730.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10140/2004-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, प०वि०वि०नि०लि०, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।

2. श्री गुरु प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- डी-74, सेक्रेट्रियल फ्लोर फ्रन्ट साइड, मानवीय नगर नई दिल्ली-110001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, गौतमबुद्ध नगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
(उ०प्र० सेवा का समन्वय)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Service Coordination)  
संस्थापक (१९७६) संसदीय अधिनियम सं० १२१/१९७६



पत्र सं०-4381 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

9629 / 03-04

दिनांक 7/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री टाकुर प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2804 30.09.2004
(ग)	जन्मतिथि	15.2.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती हेमपती चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	28.02.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 21,900.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,660.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,690.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,57,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,660.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 75,140.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 47,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4381 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 9629 / 03-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।

2. श्री टाकुर प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-मो० -वईयावारी, निकट-कोतवाली, कोतवाली रोड बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बस्ती से सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- 4407 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

8552 / 2000 01

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कमलेश ढाका पत्नी स्व० ब्रह्म सिंह ढाका, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता / पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता / पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1201 07.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	N/A
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती कमलेश ढाका (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	18.05.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2000/15.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 G.P. 10000
(घ)	वेतन	Rs. 21,900.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(प)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	68 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,57,600.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 47,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4407 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 8552 / 2000 - 01

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्रीमती कमलेश ढाका पत्नी स्व० ब्रह्म सिंह ढाका, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-द्वारा श्रीमती शालिनी सिंह, एफ-3, पंडव नगर, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION CHN- 032201UP1999SGC024928

पत्र सं०- 4417/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12673/11-12

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, अम्बेडकरनगर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मदन लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	7140 20.10.2016
(ग)	जन्मतिथि	19.11.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	डा० रेखा जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	10.11.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P. 8900
(घ)	वेतन	Rs. 58,580.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 29,290.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 11,716.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 17,574.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 17,574.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,47,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 73,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 73,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 11,716.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 62,084.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4417/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12673/11-12


तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, अम्बेडकरनगर।

2. श्री मदन लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- द्वारा अशोक जायसवाल (डा० कुमुद शर्मा के बगल में), म०न० 244/1, ताडतला, चहरसू चौरहा, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9598/03-04

दिनांक 7/12-2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्शता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2550 09.03.2004
(ग)	जन्मतिथि	13.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 GP. 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4426 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9598/03-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पला- आर-6/85, राज नगर, गाजियाबाद को इस अशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION PENSION CH. V32201UPT1999SGC024928

पत्र सं०- 4430 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

13616 / 14-15

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, बुलन्दशहर।

*विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश, सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।*

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6624	30.10.2014
(ग)	जन्मतिथि	11.07.1954	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती अनीता कुमारी गुप्ता	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	05.04.1952	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2014	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700	
(घ)	वेतन	Rs. 55,080.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,540.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 11,016.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 16,524.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	27540 upto 10.07.2019	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,524.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,42,700.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 71,350.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 71,350.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 11,016.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 60,334.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	71350 upto 10.07.2021	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 42,810.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4430 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 13616 / 14-15

तददिनांक

प्रतिलिपि त्रिभुजलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2. श्री सत्य प्रकाश, सेवानिवृत्त लेखाकार पता- मकान नं० 618, कृष्णा नगर डाकखाने वाली गली, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बुलन्दशहर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

सं०१० पत्र कारपोरेशन लि०

(सं०१० संस्कार का उपकरण)

कारपोरेशन का कार्यालय

कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11628/09-10 दिनांक 7.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सुकमल चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6618	28.10.14
(ग)	जन्मतिथि	09.07.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा जैन	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1954	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 73,880.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 36,940.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,310.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,630.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 36,940.00	
(ण)	पेंशन योग्य अईकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 193,800.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 96,900.00	
(ख)	पेंशन हेतु अईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 96,900.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 13,310.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 83,590.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 58,140.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4438 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11628/09-10

तद्दिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा।

2. श्री सुकमल चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 पता-433 नीलकंठ एपार्टमेंट, बी-9/7ए, सेक्टर-62, नोएडा-201307 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०- 4441 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

6271/88-89

दिनांक 7.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6955	04.12.1989
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1931	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1939	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1989	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	6700-7500/21350-23975/63000-78000	
(घ)	वेतन	Rs. 7,500.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 36,554.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 36,554.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,900.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 171,400.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,700.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 83,104.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 85,700.00	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,700.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	Rs. 85,700.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 85,700.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन	रु० 17140.00 दि० 01.01.16 से 28.02.16 तक तदुपरान्त दि० 01.03.16 से रु० 25710.00 प्र०मा०	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4441 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 6271/88-89

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता पता-14 प्रगति विहार, 3/295-ई मैरिस रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4445 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन /

10753 / 05-06

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सुनील सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3507 29.03.2006
(ग)	जन्मतिथि	14.06.1959
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती निशा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	02.10.1970
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.10.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 20,900.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 5,142.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,203.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,53,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 76,500.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 76,500.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 5,142.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 71,358.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 45,900.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4445 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन / 10753 / 05-06

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

2. श्री सुनील सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-जी-008, मोनार्क रायल गार्डन, सेक्टर-61, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आजमगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शिव किशोर राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्भता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4632 28.10.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.06.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिनगत तिथि	30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रिड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 60,340.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 30,170.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 9,730.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,440.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,102.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,56,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,300.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,300.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 9,730.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 68,570.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 46,980.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4446 / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/11688 / 09-10

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।

2. श्री शिव किशोर राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-974, शिव नगर कालोनी, शंकर जी की मूर्ति सिधारी जनपद-आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेनिस, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार, आजमगढ़

11/12/2018

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN/ U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-4453/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9410/02-03

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री करुणा शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2148	06.02.2003
(ग)	जन्मतिथि	16.01.45	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अजना त्रिपाठी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.11.1951	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2003	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,046.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,249.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 13,890.00	
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,046.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,504.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4453/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9410/02-03

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री करुणा शंकर त्रिपाठी सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी पता-बी-74 ग्राउन्ड फ्लोर, प्लॉट एरिया कौशाम्बी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कारपोरेशन लि०  
मुजफ्फरनगर  
पता-30 वेदपुरम, निकट गांधी कालोनी, बारात घर मुजफ्फरनगर  
संस्थापक (क) 11.04.2018 के अनुसार



पत्र सं०-4479/उम0प्र0/लेखा/पेंशन/

9466/02-03

दिनांक : 07.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुजफ्फरनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्र दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0संख्या एवं दिनांक	2302	25.07.2003
(ग)	जन्मतिथि	25.12.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मूर्ति देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1946	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	31.12.2000	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 18,200.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,910.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,385.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,35,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 67,500.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 67,500.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,910.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹0 64,590 01.01.16 से 24.10.18 तक ₹0 67,500 पुनर्स्थापित 25.10.18 से	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,500.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4479 उम0प्र0/लेखा/पेंशन/9466/02-03

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विद्युत खण्ड-प्रथम, परिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, मजिस्त्राट।

2. श्री चन्द्र दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-30 वेदपुरम, निकट गांधी कालोनी, बारात घर मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0पा0का0लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CR- 932201UP1999SGC024926



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11852/09-10

दिनांक ,2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

**विषय-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4826	30.03.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.01.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती कसूम लता शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	01.06.1953	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 62,160.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 31,080.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 10,022.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,058.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,648.00	
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 10,022.00	
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	Rs. 70,628.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4484 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/11852/09-10

तददिनांक 7/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-7/134 श्रद्धापुरी, फेज-1 कंकरखेड़ा, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सत्यदेव भारद्वाज सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2669	24.05.2004
(ग)	जन्मतिथि		08.11.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी भारद्वाज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.07.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 GP 10000
(घ)	वेतन		Rs. 23,400.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन		Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 4,580.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 22,770.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,67,200.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 83,600.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		Rs. 83,600.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 4,580.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायें		Rs. 79,020.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 50,160.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4485 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9758/03-04

तददिनांक 7/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. श्री सत्यदेव भारद्वाज सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-46/13, कल्याणी सिविल लाइन, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज कुमार

स्वीकृत



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० संचालक बोर्ड कार्यालय)

पता- 2010, आर्य कन्या इण्टर कालेज, फास, शहर व जिला-बाँदा (उ०प्र०)

दूरभाष-8102010000, 8102010001, 8102010002, 8102010003



पत्र सं०-4493/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12638/2011-12

दिनांक : 07.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बाँदा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5485 02.11.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शोभा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.03.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 64,030.00
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 32,015.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,806.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,209.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,209.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,66,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,050.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,050.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,244.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 49,830.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12638/2011-12

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बाँदा।

2. श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आर्य कन्या इण्टर कालेज के पास, शहर व जिला-बाँदा (उ०प्र०) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बाँदा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज्ञ मेहराज

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
कोषागार, बाँदा



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-4498/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

11583/09-10

दिनांक : 07.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री जय कुमार गर्ग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वषता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4846	12.04.2010
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुनीता गर्ग	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.12.1954	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतन आयोग	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P. 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 60,340.00	
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 30,170.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 9,730.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,440.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,102.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,56,600.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,300.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,300.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 9,730.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 68,570.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 46,980.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4498/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 11583/09-10

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।

2. श्री जय प्रकाश गर्ग सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- मैसर्स न्यू अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, मोदी इण्टर कालेज के सामने, मेन जी०टी० रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





सोम प्रभु कोषाधिकारी लि०  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
कानपुर, कानपुर



पत्र सं०-4503/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11752/09-10

दिनांक : 07.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नन्दन बाबू मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4743	22.01.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.12.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जर्मिला मिश्रा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	अकित नहीं	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 62,160.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 31,080.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 10,022.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,058.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 17,061.00	
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00	
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 10,022.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,628.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4503/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/11752/09-10

तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, केस्को हाउस, 14/71 सिविल लाइन, कानपुर।

2. श्री नन्दन बाबू मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-754, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, संजीवन हास्पिटल के पास, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०या०कार/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री कौशल किशोर मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6704	05.02.15
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1955	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रजनी मित्तल	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.08.1958	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2014	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 77,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 38,500.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 15,400.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,100.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	38500 upto 31.12.2020	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 23,100.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,99,600.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 99,800.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 99,800.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 15,400.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	84400 upto 31.12.2022	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 99,800.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 59,880.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4504 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13620/14-15

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा जिला-गौतमबुद्ध नगर।

2. श्री कौशल किशोर मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर--2, पता-875, फ़रेरा टावर, महागुन गोडरने सं०-78, नोएडा-201301 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)






उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजीकरण संख्या: U.P. 2010UB 99560024/20



पत्र सं०-4508 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

10889 / 08-07

दिनांक-07 / 12 / 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री धुवनारायण मणि, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3565 06.05.2006
(ग)	जन्मतिथि	25.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती रुक्मिणी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 55,210.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,605.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 7,186.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,419.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,563.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,43,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 71,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 71,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 7,186.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 64,464.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 42,990.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4508 उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 10889 / 06-07

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर।

2. श्री धुवनारायण मणि, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-289-A साकेतपुरी कालोनी गोरखनाथ, गोरखपुर इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)






# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9589/03 04

दिनांक 07/12 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय: कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह बेदी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2298 22.07.2003
(ग)	जन्मतिथि	15.05.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती वीना रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	14.10.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 G.P. 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 22,792.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,333.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,459.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	55 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 67,625.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 72,100.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,333.00
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 68,767.00 up to 21.10.2018 तदुपरांत Rs. 72,100.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4509 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9589/03 04

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री राजेन्द्र सिंह बेदी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता - 313, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 220027 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मन्नाज मोहम्मद

स्वीकृत/पेंशन/पारिवारिक पेंशन

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- 4443 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

8104 / 99-2000

दिनांक 07.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र पाठक, सेवानिवृत्त मुख्य रसायनज्ञ, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	813	28.09.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती पाठक	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1942	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1999	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 20,400.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,524.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,826.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,48,500.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 74,250.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 74,250.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित 01.01.2015	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 74,250.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,550.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4443 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 8104 / 99-2000

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री सुरेश चन्द्र पाठक, सेवानिवृत्त मुख्य रसायनज्ञ, पला-गुरुद्वारा गेट, जटाशंकर, गोरखपुर इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

महोदय, गोरखपुर

रखें, श्री सुरेश चन्द्र पाठक, सेवानिवृत्त मुख्य रसायनज्ञ, पला-गुरुद्वारा गेट, जटाशंकर, गोरखपुर



**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12680/11-12

दिनांक ,2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5575 23.01.12
(ग)	जन्मतिथि	31.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.2015
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700
(घ)	वेतन	Rs. 62,220.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 31,110.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,444.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,666.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	31110 upto 30.10.2016
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,666.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 160,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,300.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,300.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,444.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 67,856.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	80300 upto 30.10.18
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,180.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4513 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12680/11-12

तददिनांक 7/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2. श्री नन्द किशोर अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता-एम०आई०जी० 1078/4 आर, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उत्तर प्रदेश कायदा विभाग

(विद्युत वितरण विभाग)

विद्युत वितरण निगम लि.

विद्युत वितरण निगम लि.

विद्युत वितरण निगम लि.



पत्र सं०-4535उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13822/15-16

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय सुन्दर वर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6884	06.10.2015
(ग)	जन्मतिथि	04.09.1955	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हीरावती वर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.05.1956	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2015	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 5400	
(घ)	वेतन	Rs. 34,840.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17,420.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,968.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,452.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17420 upto 03.09.2020	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10452	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 91,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 45,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 45,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,968.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	Rs. 38,582.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	45550 upto 03.09.2022	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27330	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4535 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13822/15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री विजय सुन्दर वर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-म०नं०-एन-12/306, बी-21, लक्ष्मणपुर (लखरौव) पो०-बजरडीहा, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4537 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन /  
कोषाधिकारी,  
कोषागार, इलाहाबाद।

10911/06-07

दिनांक 10/12/2018

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विक्रम प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3622 17.06.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती उर्मिला वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,560.00
(छः)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,735.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,560.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,990.00
(छः)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4537 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन / 10911 / 06-07

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री विक्रम प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-416 बी, रामानन्द नगर अल्लापुर, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोहर मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार, इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश का उपक्रम  
विद्युत वितरण निगम लि.  
विद्युत वितरण निगम लि.  
विद्युत वितरण निगम लि.



पत्र सं-4540/उमप्र/लेखा/पेंशन/

8493/2000-01

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सैयद विकार अली, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1218	15.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	10.08.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती फलक नाज बेगम	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.12.1954	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2000	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 20,900.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,802.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,548.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,53,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 76,500.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 76,500.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,802.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	रु. 72,698 दि० 14.02.2016 तक तदुपरान्त रु. 76,500/- प्रतिमाह	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 45,900.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं- 4540 उमप्र/लेखा/पेंशन/8493/2000-01

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री सैयद विकार अली, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-37 अरविन्द नगर, निकट गुलाब राय इण्टर कालेज, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र/पाए/काए/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० गागर कारपोरेशन लि०  
(वि०प्र० गागर को सभन्ध)  
पता-214, शिव नगर, तुरकहिया, तुरकहिया पोस्ट गांधी नगर, अमहुत, बस्ती को इस  
आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बस्ती से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।



पत्र सं०-4543/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

7826/98-99

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम शंकर शुक्ल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, विशेष श्रेणी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	523	10.08.1998
(ग)	जन्मतिथि	03.09.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती विद्या शुक्ला	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.07.1942	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1997	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 18,900.00	
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	पुनस्थापित	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 27,350.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,44,200.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 72,100.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 72,100.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	पुनस्थापित रु. 72,100	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 43,260.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/7826/98-99

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।

2. श्री प्रेम शंकर शुक्ल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, विशेष श्रेणी, पता-214, शिव नगर, तुरकहिया, तुरकहिया पोस्ट गांधी नगर, अमहुत, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बस्ती से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





संघीय वित्त विभाग, भारत सरकार

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण त्रिगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ।

पत्र सं०-4544/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8787/2001-02 दिनांक : 10.12.2018



पत्र सं०-4544/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8787/2001-02

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री बृज मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1503	31.07.2001
(ग)	जन्मतिथि	15.06.1943	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1952	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2001	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 19,550.00	
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 24,179 wef. 20.07.2010	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,112.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,067.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 68,497.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 65,550.00	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 68,497.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,112.00 पुनर्स्थापित 01.11.2016	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	रु० 65,385 दि० 01.01.16 से 31.10.16 तदुपरान्त रु० 68,497	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8787/2001-02

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण त्रिगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री बृज मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी,

पता-एफ-76, शास्त्रीनगर, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-4547 / उ०प्र०प्र० / लेखा / पेंशन /

8637 / 2000-01

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री उपेन्द्र प्रसाद बोस, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1392 16.04.2001
(ग)	जन्मतिथि	01.11.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/ GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 21,900.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	Rs. 3,966.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	23384 दिनांक 15.07.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,57,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 76,413.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 1% दण्ड के बाद	Rs. 76,413.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,966.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	72,447.00 दि० 15.07.16 तक तद्दुपरान्त रू० 76,413.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	N/A
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4547 / उ०प्र०प्र० / लेखा / पेंशन / 8637 / 2000-01

तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, द०वि०वि०नि०, लि०, अलीगढ़।

2. श्री उपेन्द्र प्रसाद बोस, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता-72 सरस्वती विहार, ज्ञान सरोवर कालोनी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-4549/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13883/15-16

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार आर्य सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	7094	19.08.16
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1956	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शाकम्बरी गुप्ता	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.01.1961	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2015	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700	
(घ)	वेतन	Rs. 70,040.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 35,020.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	आवेदित नहीं	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	35020 upto 31.12.2020	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	21012	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,80,800.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 90,400.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 90,400.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	आवेदित नहीं	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	90400 upto 31.12.2022	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 54,240.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4549 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13883/15-16

तददिनांक 10.12.18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर।

2. श्री दिनेश कुमार आर्य सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-संस्कृति घोष कॅम्पाउण्ड, 165 के० बशरतपुर पूर्वी, पी० बशरतपुर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशन आयोग, गोरखपुर  
उपमो पेंशन आयोग का कार्यालय  
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-4555/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10925/08-07

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आजमगढ़।

विषय-- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिबर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5435 13.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शान्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	N/A
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवाँ वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800/8550-13500 G.P. 5400
(घ)	वेतन	Rs. 12,125.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	13338-267=Rs. 13,071.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,540.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 9,531.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 5,457.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 9
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 73,400.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 36,700.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 35,966.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,540.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 32,426.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 22,020.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10925/08-07

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।

2. श्री. चन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता- ग्राम सिघाई, पोस्ट शाहगंज, जिला जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 10.12.2018



# उ०प्र० पात्र कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

ग० प्र० सेवा व पेंशन निगम लि०  
ग० प्र० सेवा व पेंशन निगम लि०

U.P. PENSION BOARD, 2010/1999/602/97



पत्र सं०-4558/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10921/06-07

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री परशुराम राम सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3626	24.06.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शान्ती देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	12.09.1952	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,696.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,599.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,696.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,854.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/10921/06-07

तददिनांक

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री परशुराम राम सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-**डाक बंगला रोड, वार्ड नं० 5, लोक मान्य तिलक नगर, चन्द्रौली** को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मुजफ्फरनगर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नाथी राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3347	15.12.2005
(ग)	जन्मतिथि	24.02.1946	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सुशीला देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.02.2004	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 6600	
(घ)	वेतन	Rs. 14,550.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 15,310.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,709.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 12,601.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 7,923.00	
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 88,400.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 44,200.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 41,521.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 33,850.00	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 41,521.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,709.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	Rs. 38,813.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 26,520.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 10618 / 05-06

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2. श्री नाथी राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-522, गली नं०-14 गाँधी कालोनी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनाज सेहरीवा  
स्वीकृतकला अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-4574 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

8989 / 2001-02

दिनांक-10 / 12 / 2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राधा किशन अरोरा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1752 21.03.2002
(ग)	जन्मतिथि	31.12.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुदेश अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 21,900.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 10,950.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,380.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 6,570.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6750
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,57,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 78,800.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 47,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्ररतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4574 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 8989 / 2001-02

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विद्युत खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री राधा किशन अरोरा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-505 गुलमोहर टावर बिरजीव शिखर सेक्टर-06, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: US2201UP1999500024928



पत्र सं०-..... उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9409/02-03

दिनांक 10/12/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2016 के अन्तर्गत श्री जसवंत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3236	12.09.05
(ग)	जन्मतिथि	16.09.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती कमलेश कौर	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	22.03.1947	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2002	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(8700) 14300-400-18300	
(घ)	वेतन	Rs. 16,300.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 23,050.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,212.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,839.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 13,830.00	
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,26,800.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 63,400.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 63,400.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,212.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	रु० 60160/- दि० 29.04.2018 तक पुनर्स्थापित रु० 63400/- दि० 30.04.2018 से अग्रेतर	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 38,040.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4578 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9409/02-03

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री जसवंत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-5/3 अशोक रोड, शिपा सनसिटी, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

स्वः  
कोषागार, गाजियाबाद





# उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०

(उत्तर प्रदेश का उपक्रम)

उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०

REGISTRATION NO. 2010/198/SO/2422



पत्र सं०-4604 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

10642 / 05-06

दिनांक-10 / 12 / 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3333	30.11.2005
(ग)	जन्मतिथि	28.7.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ति सिंह	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1950	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 5,182.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,168.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	57 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 70,085.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 72,100.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 5,182.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	Rs. 66,918.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4604 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 10642 / 05-06

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री हृदय नारायण सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता- 28 नया आवास विकास कालोनी, बेंतिया हाता (दक्षिणी), गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेकसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

सुनील मेहरोत्रा  
रजिस्ट्रार, उ०प्र०पा०का०लि०  
उ०प्र०पा०का०लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UOP Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

Pension Division Circular 2011/P1993/SCC024928



पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

8919/2001-02

दिनांक 10/12/2018

कोषाधिकारी,

आर्दश कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हर नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1607 31.10.2001
(ग)	जन्मतिथि	15.09.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00 ✓
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,019.00 ✓
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,331.00 ✓
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 79,921.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 72,100.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 79,921.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,019.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये	रु० 75,902 दि० 01.01.16 से 24.01.17 तक रु० 79,921 दि० 25.01.17 से पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4607 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/8919/2001-02

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हर नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-न०-191, सक्टेर-29, फरीदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आर्दश कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मदन विहारी वर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का संयुक्त)

(Jointly owned by Government of Haryana)

संयुक्त रूप से स्थापित/ Jointly owned



पत्र सं०-4612/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9551/03-04

दिनांक-11/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, इलाहाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री उमेश नारायण शुक्ल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2378	06.10.2003
(ग)	जन्मतिथि	04.07.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री शुक्ला	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.07.1963	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2003	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9551/03-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 57-जार्ज टाऊन, इलाहाबाद।

2. श्री उमेश नारायण शुक्ल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-406-राजरूपपुर इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8837/01-02

दिनांक 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, प्रतापगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एव तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मोती प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2935 17.12.2004
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती नागेश्वरी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	18.11.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	Rs. 19,550.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 24,295.00 dt. 14.05.2015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	68 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4613 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8837/01-02

तददिनांक 11/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रतापगढ़।

2. श्री मोती प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- बाबा गंज कालोनी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, प्रतापगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोरा भादुरी  
उपनिवेशिका अधिकारी  
पेंशन विभाग  
कोषागार, प्रतापगढ़



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
UPP Power Corporation Limited  
(Government Undertaking)



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

7948/98-99

दिनांक 29/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद बंसल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	681 10.05.1999
(ग)	जन्मतिथि	12.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37000-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 20,400.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	पुनर्स्थापित 10.08.2014
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,48,500.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 74,250.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 74,250.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	74,250 पुनर्स्थापित 10.08.2014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्पसुद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4751 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/7948/98-99

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।।

2. श्री जगदीश प्रसाद बंसल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9, मानस नगर, महोली रोड, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, मथुरा से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी का  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12780/12-13

दिनांक 29/12/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अतुल तायल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6172 07.08.2013
(ग)	जन्मतिथि	17.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रश्मी तायल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13.11.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठी वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P. 10000
(घ)	वेतन	Rs. 76,100.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 38,050.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 15,220.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,830.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 38,050.00 up to dt. 16.08.2017
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,99,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 99,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 99,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 15,220.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 84,580.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 99,800.00 up to dt. 16.08.2019
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 59,880.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4752-उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12780/12-13

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2. श्री अतुल तायल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता- 45, साहिब जी नगर, सर्किट हाउस रोड, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सहारनपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8228/1999-2000

दिनांक 20/12, 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती पुष्प लता पत्नी स्व० राधे श्याम गुप्ता, दिवंगत सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1032 03.06.2000
(ग)	जन्मतिथि	24.04.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्प लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.08.1952
2.(क)	दिवंगत तिथि	21.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500 (15600-39100) Grade Pay Rs. 5400
(घ)	वेतन	Rs. 9,925.00
(ङ)	मूल पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 6,732.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 10
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 63,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 18,930.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4753 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8228/1999-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. श्रीमती पुष्प लता पत्नी स्व० राधे श्याम गुप्ता, दिवंगत सहायक लेखाकार पत्नी- 101 मो० राय जादगान, थाना कोतवाली मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

सहायक लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार, मेरठ।



# उ०प्र० माकर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार, कानपुर)

(उ०प्र० सरकार, कानपुर)

(उ०प्र० सरकार, कानपुर)

REGISTRATION NO. 2011/199550/2/1921



पत्र सं०- / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

11275/07-08

दिनांक- 20-12-18

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 20.06.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र निगम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4106 29.11.2007
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पैंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/ वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	Rs. 4,560.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,735.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	N/A
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,560.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,990.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	N/A
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4755 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/11275/07-08

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर कानपुर।

2. श्री राजेन्द्र निगम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-329 शंकरा चार्या नगर यशोदा नगर कानपुर-208011को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,कोषागार, कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा  
स्वीकृतकर्ता अभियन्ता एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन),  
उ० प्र० माकर कारपोरेशन लि०,  
शक्ति भवन, लखनऊ।





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9924/04-05

दिनांक 20/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2711 07.08.2004
(ग)	जन्मतिथि	30.03.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.07.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	31.03.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पौघवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 CP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,207.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,143.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,207.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 76,943.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-५७५७ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 9924/04-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, चंवरिया।

2. श्री अरुण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता- 548/3, अशोक पार्क, मंगलपाण्डेय नगर, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपमो पावर कारपोरेशन लि०

(उपमो पावर कारपोरेशन लि०)  
11544/098-10



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11544/098-10

दिनांक 20/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4594	29.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.06.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.02.1952	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 56,870.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 28,435.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 9,446.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,989.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 17,061.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,47,600.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 73,800.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 73,800.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 9,446.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	Rs. 64,354.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,280.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 1754 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/11544/09-10

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-N-10/72एफ-10, न्यू कालोनी ककर मत्ता, पो०-डी०एल०डब्ल्यू, वाराणसी-221004 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
Haryana Power Corporation Limited  
1977  
संस्थापित 1977



पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9584 / 03-04

दिनांक 21/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में नियत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मोहन कौशिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2392	21.10.2003
(ग)	जन्मतिथि	05.07.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती इन्दुलता कौशिक	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	18.11.1950 18.01.1951	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2003	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4769 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9584 / 03-04


तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2. श्री सुरेन्द्र मोहन कौशिक सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-लाल कोठी, गौधी पार्क, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सहारनपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9114/01-02

दिनांक 22/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री परमानन्द सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1856	17.06.2002
(ग)	जन्मतिथि	08.02.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रामा देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.07.1948	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	28.02.2002	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00 upto 16.09.2017 afterthat Rs.69,550.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4778 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9114/01-02

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर।

2. श्री परमानन्द सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-न्यू एरिया बाई पास घनन्जय निवास के पीछे, औरंगाबाद(बिहार) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजीपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

(उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में)



पत्र सं०- / उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन/

6287/88-89

दिनांक- 22-12-18

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री सतीश चन्द्र जैन, मुख्य अभियन्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6762	27.05.1989
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1931	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संध्या जैन	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.11.1937	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1988	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000) 6700-7500/21350-23975/63000-78000	
(घ)	वेतन	Rs. 7,500.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 40,950.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 40,950.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,900.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,71,400.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,700.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,700.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 85,700.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 51,420.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 30%, 85 वर्ष के अनुसार	Rs. 25,710.00	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4782 उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन/6287/88-89


तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री सतीश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-8/158, सेक्टर-III, राजेन्द्र नगर सहियाबाद, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
लेखाधिकारी (पेंशन)



शासनादेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017



पत्र सं- 30म0प्र0/लेखा/पेंशन/

9960/04-05

दिनांक 22/12, 2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री मानक चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओसंख्या एवं दिनांक	2734 27.08.2004
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती विमला गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	04.05.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश ज़रूरी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं- 4783 30म0प्र0/लेखा/पेंशन/9960/04-05

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री मानक चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए-297, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद को प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 30म0प्र0का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमान कोषाधिकारी  
कोषागार, गाजियाबाद  
से सम्पर्क स्थापित कर  
भुगतान प्राप्त करें।



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

11, B-1, Sector-1, Gurgaon, Haryana

110001

REGD. NO. 110001/110001/110001/110001/110001



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

100101/04-05

दिनांक 22/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नत्थू सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3054	23.03.2005
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1946	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मायावती	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.07.1953	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,994.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,301.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 68,497.00	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 65,550.00	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 68,497.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,994.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये	Rs. 65,503.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4784 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/100101/04-05

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री नत्थू सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-16बी०/404, सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

संयोजक कोषाधिकारी

संयोजक कोषाधिकारी  
कोषागार, गाजियाबाद





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी कॉरपोरेशन)

वि० नं० १९७२/१९७३/१९७४/१९७५/१९७६/१९७७/१९७८/१९७९/१९८०/१९८१/१९८२/१९८३/१९८४/१९८५/१९८६/१९८७/१९८८/१९८९/१९९०/१९९१/१९९२/१९९३/१९९४/१९९५/१९९६/१९९७/१९९८/१९९९/२०००/२००१/२००२/२००३/२००४/२००५/२००६/२००७/२००८/२००९/२०१०/२०११/२०१२/२०१३/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/२०१९/२०२०/२०२१/२०२२/२०२३/२०२४/२०२५/२०२६/२०२७/२०२८/२०२९/२०३०

पत्र सं०- / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13153/13-14

दिनांक- 22-12-18

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6085 01.06.2013
(ग)	जन्मतिथि	10.10.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सरित मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.07.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 62,790.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 31,395.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,558.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,837.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	31395 upto 09.10.2017
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,837.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,66,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,050.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,050.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,558.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,492.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	83050 upto 09.10.2019
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 49,830.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4785 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/13153/13-14

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री अशोक कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-329/11, शास्त्री नगर, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13127/12-13

दिनांक 22/12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 3097 दिनांक 05.10.2018 को निरस्त करते हुये निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6279 26.10.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.09.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठौं वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P. 8700
(घ)	वेतन	Rs. 60,390.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 30,195.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,078.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,117.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 30,195.00 up to 31.08.2017
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,117.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,55,900.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 77,950.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 77,950.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,078.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 65,872.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 77,950.00 up to 31.08.2019
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 46,770.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाम्प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4726 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13127/12-13

तददिनांक

प्रतिनिर्दिष्ट निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता- मकान नं० 324, ब्रह्मपुरी, टीकाराम वैद्य वाली गली, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

2017-18

रिजिस्ट्रेशन नं० 13/2017/13/999SC/02/92



पत्र सं०-..... उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12017/10-11

दिनांक 22/12, 2018

कोषाधिकारी,

इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 3291 दि० 13.10.2018 को निरस्त करते हुये

कोषागार, अम्बेडकर नगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तद्वक्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री घनश्याम मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	4912 28.05.2010
(ग)	जन्मतिथि	20.11.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमित्रा मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 62,160.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 31,080.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 10,022.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,058.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,648.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,61,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,650.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,650.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 10,022.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	Rs. 70,628.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,390.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4787 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/12017/10-11

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अम्बेडकर।

2. श्री घनश्याम मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मो०-अब्दुलापुर शहजादपुर (चंगुल चेहरा), मदेशिया घर्मशाला के पीछे गली, अकबरपुर अम्बेडकर नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदेश कोषागार, अम्बेडकर नगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



जोधपुर नगरपालिका  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल  
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार



पत्र सं- ३०५०५०/लेखा/पेंशन/

13669/14-15

दिनांक २२/११/२०१८

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत श्री मोहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	६७५२ १०.०४.२०१५
(ग)	जन्मतिथि	०२.०२.१९५५
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अफ़र्शा अहमद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	३१.०७.१९६४
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	२८.०२.२०१५
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	३७४००-६७००० GP ८९००
(घ)	वेतन	Rs. ६६,६१०.००
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. ३३,३०५.००
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. १३,३२२.००
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. १९,९८३.००
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	३३३०५ upto ०१.०२.२०२०
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. १९,९८३.००
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	४०
३.	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)	१३
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. १,७६,२००.००
४.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. ८८,१००.००
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. ८८,१००.००
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. १३,३२२.००
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. ७४,७७८.००
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	८८१०० upto ०१.०२.२०२२
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. ५२,८६०.००
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१६ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं- ५७८८ ३०५०५०/लेखा/पेंशन/१३६६९/१४-१५

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पी०वि०वि०नि०लि०, गोरखपुर।

२. श्री मोहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-८०सी०, काजीपर कलां, नशेमन हाता थाना-तिवारीपुर, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

३. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ३०५०५०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० मानव कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार कारपोरेशन)

Haryana Human Resource Corporation

Haryana Human Resource Corporation

पंजीकरण सं० 220103/05/06/22628



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9027/01-02

दिनांक 24/12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, हापुड़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री चेतन प्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1841	31.05.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कृष्णा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.06.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन		Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन		Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 2,500.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 21,795.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		58
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		Rs. 61,120.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		Rs. 65,550.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 65,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 2,500.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		Rs. 63,050 दि० 15.09.17 तक तदुपरान्त रु० 65,550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-५७९। उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9027/01-02

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, मन्मथपुर।

2. श्री चेतन प्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 727-ए, मोहल्ला गंगापुर, पुरानी कचहरी रोड, हापुड़, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, हापुड़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरा

स्वीकृत/प्रमाणित/आदेश/पत्र/पत्र

उ० म० प्र०/लेखा/पेंशन/9027/01-02

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13825/15-16

दिनांक 24/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शमशाद आलम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6893	15.10.2015
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1955	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सबीहा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.07.1961	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2015	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 68,610.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 34,305.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,722.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 20,583.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	34,305 upto 07.07.2020	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 20,583.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,81,500.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 90,750.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 90,750.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 13,722.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 77,028.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 के अनुसार	90750 upto 07.07.2022	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 54,450.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4792 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13825/15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, माहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री शमशाद आलम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-सी-322, मु० शंखपुर, पो० गीता प्रेस निकट ताज पब्लिक स्कूल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

UP Government Undertaking

राज्य संसदीय अधिनियम सं० २२०/१९७९/सं० १२/१९७९



पत्र सं०—.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13383/13-14

दिनांक 24/12/2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री पुन्ना लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6344 24.01.2014
(ग)	जन्मतिथि	08.11.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि	30.11.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8700
(घ)	वेतन	Rs. 66,020.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 33,010.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,204.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,806.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 33,010.00
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,806.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,70,400.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,200.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,200.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 13,204.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 71,996.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	85200 upto 07.11.2020
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 51,120.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-५७९३ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13383/13-14

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री पुन्ना लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-साई हैरिटेज बिल्डिंग, प्लॉट नं०-6 डी प्लाट नं० 22 सेक्टर, कौशाम्बी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मन

उ०प्र० पा०क० लि०

क०

3

मन

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री बंगाली बाबू, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	890	18.12.1999
(ग)	जन्मतिथि	04.09.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पिस्ता देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नही	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1999	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 18,650.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,550.00 24295	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A पुनर्स्थापित	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,35,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 67,500.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 67,500.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	N/A	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,500.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4794 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/8213/99-2000

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री बंगाली बाबू, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-टी-106, फेज-II, पल्लवपुरम्, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज्ञ देहरोडा  
रबीकृत/अध्यापक/अभियन्ता (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० नि०  
शांति नगर, मेरठ





पवन कारपोरेशन लिमिटेड  
(विद्युत वितरण क्षेत्र में)  
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
पवन कारपोरेशन लिमिटेड



पत्र सं०- /उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8173/99-2000

दिनांक

24-12-18

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सरिता जैन पत्नी स्व० कुमरेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	755 10.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	11.10.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरिता जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	N/A
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.05.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 13,560.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	56 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

4795  
पत्र सं०- /उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/8173/99-2000

तद्दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

2. श्रीमती सरिता जैन पत्नी स्व० कुमरेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-मकान नं०-238, आर०ए० बाजार, मेरठ, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

संवेदनशील

श्रीमती सरिता जैन पत्नी स्व० कुमरेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-मकान नं०-238, आर०ए० बाजार, मेरठ

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12702/11-12 दिनांक 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कंचन माहेश्वरी पत्नी स्व० राम अवतार माहेश्वरी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/दिवंगत
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5623 13.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	28.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कंचन माहेश्वरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13.10.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2011/10.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 G.P 8700
(घ)	वेतन	Rs. 62,220.00
(ङ)	मूल पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 31110 upto 27.12.2016
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,666.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 160,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 80300 dt 27.12.2018
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,180.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०-५०७७-उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12702/11-12

तददिनांक 24/12/18

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्रीमती कंचन माहेश्वरी पत्नी स्व० राम अवतार माहेश्वरी, सहायक लेखाधिकारी पता-मकान नं० 358 सेक्टर-5, चिरजीव विहार, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाए०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उद्योग भारती कारपोरेशन लि०  
विद्युत वितरण निगम लि०  
पुणे, महाराष्ट्र



पत्र सं०—.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12128/10-11

दिनांक 26/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय— कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5050	13.10.2010
(ग)	जन्मतिथि	24.10.1964	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	लागू नहीं	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	लागू नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 57,750.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 28,875.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 11,550.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 17,325.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स क्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,52,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 76,000.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 76,000.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 11,550.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 64,450.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०—4257 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/12128/10-11

तददिनांक

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री विजय कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-7/11 करईगंज, रजबन बड़ा बाजार, मेरठ कैन्ट-250001, इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश कायदा विभाग  
(समाज कल्याण विभाग)  
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ  
फोन नं. 2222-2222



पत्र सं-...../उम0प्र0/लेखा/पेंशन/

7136/1993-94

दिनांक : 25/12/19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0संख्या एवं दिनांक	5444 20.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	06.01.1936
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.05.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1994
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 6,700.00
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 26,336.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,730.00
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	प्रस्तर-13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,35,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 67,500.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 60,341.00
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 65,550.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	Rs. 65,550.00
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 65,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,500.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% दिनांक 01.01.2016 से 80 वर्ष पूर्ण होने	Rs. 13,110.00

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं-4353 उम0प्र0/लेखा/पेंशन/ 7136/1993-94

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमौचल विद्युत् वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-हारा आभा मानव वृद्ध सेवा सदन, पंचवटी कालोनी, कमरा नं0-207, कसरु बक्सर ग्राम, मवाना रोड, मेरठ-250001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13305

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25.12.19

कोषाधिकारी, कोषागार

मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण पाल वर्मा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6440	दिनांक 08.05.2014	
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1953	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कुसुम लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			27.08.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-2013	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹		58,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29225
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11690
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17535	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 29225 से 30.11.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17535
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,51,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		75700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		75700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11690
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64010
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		75700
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4860

13305

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

श्री कृष्ण पाल वर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-1225, दक्षिणी सिविल लाईन, सूरज विहार, मुजफ्फरनगर।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, मुजफ्फरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC021928



पत्र सं०

8110

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25-12-18

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चौथी प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	795	01.09.1999	
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्री चौथी प्रसाद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-1999	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचदा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000 / 37400-67000	ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹		17,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		पुनर्स्थापित 01.12.2014
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		57 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,31,101
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		56612
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		65550
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		रु० 65550/-पुनर्स्थापित 01.12.2014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4861

8110

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

श्री चौथी प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-महुल्ला शिवपुर शाहबाजगंज, पो०-शाहपुर, जिला-गोरखपुर

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



संविधान संशोधन विभाग

(संविधान संशोधन विभाग)

संविधान संशोधन विभाग

संविधान संशोधन विभाग

संविधान संशोधन विभाग



पत्र सं-..... / 30M0P0 / लेखा / पेंशन /

12046/2010-11

दिनांक : 25/12/15

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हरिओम कटियार, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0संख्या एवं दिनांक	4989	18.08.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पदम कटियार	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.07.1950	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000) GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 71,720.00	
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 35,860.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,432.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,428.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 21,516.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,88,200.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 94,100.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 94,100.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,432.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	Rs. 81,668.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 56,460.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं- 4885 / 30M0P0 / लेखा / पेंशन / 12046/2010-11


तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री हरिओम कटियार, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-306, सिद्धार्थ अपार्टमेंट, निकट दीवानी कोर्ट, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9492/02-03

दिनांक 25/12-2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2194 02-04-2003
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,400.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,270.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 23,080.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छगाहियों
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,62,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 4,270.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 76,880.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में अमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-<sup>4867</sup>~~4855~~ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9492/02-03

तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

2. श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-402, तारु कुंज, एच०डी०एफ०डी० बैंक के पास, मेरठ, त०ल०र०म०, मेड. कॉलेज, यू०पी० को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(वि०प्र० अर्हकारी सेवा)

वि० प्र० अर्हकारी सेवा विभाग  
पता-बी-178, सेक्टर-11, आवास विकास कालोनी, कर कुँज रोड, सिकन्दरा, आगरा।

पत्र सं०

10635

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25/12/18

कोषाधिकारी, कोषागार  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3386	दिनांक	17.01.2006
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधा रानी शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹		19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23,914
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		72,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68664
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4570

10635

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2 श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-178, सेक्टर-11, आवास विकास कालोनी, कर कुँज रोड, सिकन्दरा, आगरा।

3 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा। से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महरोत्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकांश एवं

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

सचिव, कोषागार, आगरा।



संघीय कार्यपालनालय

संघीय कार्यपालनालय

संघीय कार्यपालनालय

संघीय कार्यपालनालय

संघीय कार्यपालनालय



पत्र सं-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

13483/14-15

दिनांक 25/12, 2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री पूर्ण चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6865 15.09.2015
(ग)	जन्मतिथि	01.10.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेश वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.12.1960
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 72,060.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 36,030.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 14,412.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,618.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36030 upto 30.09.2019
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 21,618.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,86,900.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 93,450.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 93,450.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 14,412.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 79,038.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	Rs. 93,450 upto 30.09.2021
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 56,070.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं-427/ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/13483/14-15

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री पूर्ण चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी०ई०-265बी०, अवन्तिका हापुड़ रोड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Undertaking)

REGISTRATION NO. U.P. 2010/1999/SC/22/928



पत्र सं०

9318

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25-12-18

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजेन्द्र नाथ शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2046	दिनांक	31-10-2002
(ग)	जन्मतिथि			08-07-1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती महालक्ष्मी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			11-12-1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-07-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹		16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3196
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19854
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3196
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 60,204/- दि० 01.01.16 से 30.01.18	₹ 63,400/- दि० 31.01.2018 तक पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4873

9318

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।  
श्री विजेन्द्र नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ई-79, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार (को. उपक्रम))

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government (Public Enterprise)

INCORPORATED IN INDIA



पत्र सं०

7795

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25.12.18

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	मूल पेंशन	अन्य लाभ	कुल पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार					
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	526	दिनांक 24.08.1998			
(ग)	जन्मतिथि					05.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम					श्रीमती पुष्पलता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि					अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि					35826
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान					पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)					37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन			₹		19,400
(ङ)	मूल पेंशन			₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			₹		3156
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			₹		24194
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर					लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			₹		15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ			
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			₹		-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०			
(ख)	निर्धारित वेतन			₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन					
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन			₹		3156
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें			₹		18.08.2014 पुर्नस्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4275

7795

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।  
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं० 6, बल्देवपुर, एक्सटेंशन, महोली रोड, मथुरा।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Undertaking)

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन पेंशन ऑन लाइन नं० 1322011071999SC0074928



पत्र सं०

6328

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता  
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6836	दिनांक 30-06-1989
(ग)	जन्मतिथि		30.06.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उमा रानी अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.07.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		5900-7100/18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35555
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	35555
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	69916
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 30 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	₹ 21630/- दि० 30.06.2016 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4876

6328

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-द्वितीय सी-118 नेहरू नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
11, Government Buildings, Lucknow

REGISTRATION NO. U22201UP1999SGC024928



पत्र सं० 11061 2007-2008 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मूल नारायण तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिर्वषता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3766	29-09-2006
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री सरस्वती तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7402
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21033
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7402
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.16	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 4877 11061 2007-2008 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 26/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
2. श्री मूल नारायण तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-39 शलि नगर, कालोनी महामूरगंज, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पेंशन (PENSION) का नं० 10364/2004-2005/उ०प्र०/लेखा/पेंशन



पत्र सं०

10364

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5602	22-02-2012
(ग)	जन्मतिथि			25.05.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.08.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		18270
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5545
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		12725
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		61	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		75003
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 27 प्रतिशत दण्ड	₹		54565
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5545
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		49020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16 12.18	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 30 प्रतिशत अतिरिक्त	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० ५४७९

10364

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मोचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
2. श्री राजकुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-2बी/1591 शीतल कैंज, अहमद बाग, सहारनपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UP Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12321

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 26-12-18

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम किशोर मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5318	15.06.2011		
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1951		
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती पुष्पा मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				01-01-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹		64,030	
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32015	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12806	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19209	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19209	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹			0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०		
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		166,100	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83050	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83050	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12806	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		70244	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		49830	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4879

12321 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

श्री राम किशोर मिश्रा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 81 एल पवन विला, राम जानकी नगर, बसारतपुर, गोरखपुर

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
UPP Power Corporation Limited  
(Uttar Pradesh Government Undertaking)



पैन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10984

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 26-12-18

26-12-18

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3943	21.02.2007		
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹		55,210	
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27605	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4560	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23045	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹			0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		143,300	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		71650	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71650	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4560	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		67090	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42990	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 4880

10984 06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर
- श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 29 राजेन्द्र नगर कालोनी, पोस्ट गोरखनाथ, गोरखपुर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)